



वार्षिक लेखा 2022-2023

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक लेखा

2022-23

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा	3-4
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 11)	5-13
5.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां (अनुसूची 12 से 23)	14-19
6.	प्रमुख लेखा नीतियां (अनुसूची 24)	20-24
7.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 25)	25-30
8.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध क)	31
9.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ख)	32-38
10.	नए डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ग)	39-43
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध घ)	44
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ङ.)	45
13.	प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान का विवरण (अनुबंध-च)	46-52
14.	बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	53
15.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ज)	54
16.	अन्य प्रेषण (अनुबंध झ)	55
17.	स्टाफ को अग्रिम (अनुबंध ञ)	56
18.	तुलन-पत्र –सामान्य भविष्य निधि खाता	57
19.	आय और व्यय का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	58
20.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	59
21.	प्रमुख लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां –सामान्य भविष्य निधि खाता	60
22.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रबंधकीय उत्तर	61-67

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

कोष/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कोष/पूंजी निधि	1	2,02,85,07,365	1,91,67,85,605
संचय और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	27,50,20,802	19,09,65,194
कुल		2,30,35,28,167	2,10,77,50,799
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(क)	2,94,80,218	2,91,23,053
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		2,48,18,895	2,39,48,835
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		46,61,323	51,74,218
पूंजीगत चालू कार्य	8(ख)	1,21,25,65,799	1,05,99,68,279
निवेश - चिन्हित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	1,08,63,01,045	1,04,26,08,302
विभिन्न व्यय		-	-
कुल		2,30,35,28,167	2,10,77,50,799
प्रमुख लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/अनुवर्ती	13	39,02,25,079	20,94,69,194	2,00,00,000	4,00,00,000
शुल्क/चंदा	14	1,88,22,800	1,79,25,100	1,04,53,471	2,03,88,259
निवेशों से हुई आय	15	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	2,59,41,014	2,52,84,149	1,90,89,390	1,23,98,132
अन्य आय	18	2,65,771	68,07,541	-	304
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	-	-	-	-
आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन)		-	-	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		12,05,600	67,01,730	10,000	-
कुल (क)		43,64,60,264	26,61,87,714	4,95,52,861	7,27,86,695
व्यय					
स्थापना व्यय	20	6,76,72,302	5,50,55,443	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	17,91,41,828	1,83,23,228	3,69,832	1,09,57,282
अनुदान/अनुवर्ती आदि पर हुआ व्यय	22	14,90,14,678	12,21,71,369	-	-
ब्याज	23	11,78,608	12,78,635	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन मूल्य हानि सहित (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		9,42,917	10,19,734	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		63,72,454	4,96,188	14,34,911	40,000
कुल (ख)		40,43,22,787	19,83,44,596	18,04,743	1,09,97,282
आय में से व्यय घटाने के बाद शेष राशि (क-ख)		3,21,37,477	6,78,43,117	4,77,48,118	6,17,89,413
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कोष/पूंजी निधि तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)		3,21,37,477	6,78,43,117	4,77,48,118	6,17,89,413
प्रमुख लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय		
क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)			क) स्थापना व्यय	5,23,56,003	5,26,99,424
पालमपुर शाखा	841	-	ख) प्रशासनिक व्यय	17,82,10,046	1,96,41,212
रांची शाखा	-	1,268			
गुवाहाटी शाखा	-	3,991	2. निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
शिवमोगा शाखा	-	450	क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ख)	8,49,25,974	6,86,39,980
			ख) नया डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ग)	2,83,15,185	2,27,33,907
ख) बैंक शेष			ग) फील्ड जीन बैंक (अनुबंध-ड.)	30,10,629	34,33,325
I चालू खातों में					
भारतीय स्टेट बैंक	5,94,560	7,72,527	3. अचल सम्पत्तियों व चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,03,93,594	2,32,892	क) स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	4,36,165	2,45,340
भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	33,771	33,363	ख) चालू पूंजीगत कार्य	2,16,79,118	-
			4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण के लिए दिए गए अग्रिम	3,01,44,000	38,39,90,400
II जमा खातों में					
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,69,75,000	16,26,79,459	5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी अनुदान (अनुबंध-च)	14,70,000	80,000
केनरा बैंक (जीन निधि)	12,50,42,176	8,35,82,522			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जीन निधि)	10,12,46,700	-	6. बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	46,45,698	25,69,880
केनरा बैंक (प्राधिकरण)	21,36,12,151	14,21,96,474			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्राधिकरण)	18,88,08,444	-	7. जीन निधि में योगदान	2,00,00,000	4,00,00,000
भारतीय स्टेट बैंक (प्राधिकरण)	22,57,000	19,22,12,760			
			8. शुल्क की वापसी/अंशदान/अन्य आय		
III बचत खातों में			आवेदन/पंजीकरण शुल्क की वापसी	1,17,500	2,59,200
केनरा बैंक	1,86,68,834	6,14,46,622	वार्षिक नवीकरण शुल्क की वापसी	-	-
भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,17,612	1,37,548			
भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	1,10,834	1,31,268	9. आईटीपीजीआरएफ को योगदान	-	21,39,512
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	7,06,593	56,472			
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,19,963	1,26,843	10. अन्य पूर्वावधि समायोजन खाता	65,91,765	5,18,670
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	37,202	-			
			11. पीपीवी एफआरए के कर्मचारियों को अग्रिम (अनुबंध- ज)	23,89,310	7,91,039
2. भारत सरकार ने प्राप्त अनुदान	44,59,77,233	59,99,90,000			
			12. भुगतान की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध-ज)	2,42,45,843	2,76,16,080
3. बैंक से प्राप्त ब्याज	2,50,92,985	3,04,89,421			
			13. अन्य प्रेषण (अनुबंध-झ)	1,65,604	1,50,219
4. संदर्भ प्रयोगशालाओं से अनुदान की वापसी (अनुबंध-ब)	67,065	-			
			14. अंत शेष		
5. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी (अनुबंध-च)	6,26,104	80,000	क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)		
			रांची शाखा	673	-
6. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र) (अनुबंध-ग)	11,25,000	93,836	गुवाहाटी शाखा	1,458	-
			शिवमोगा शाखा	-	-
7. कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी (ज)	5,46,747	950	पालमपुर शाखा	11,842	841

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
8. अवर्गीकृत प्राप्तियां / पार्टियों से प्राप्तियां	2,26,01,358	2,05,54,247	ख) बैंक शेष		
			I चालू खातों में		
9. शुल्क /अंशदान/अन्य आय			भारतीय स्टेट बैंक	11,62,153	5,94,560
अवेदन /पंजीकरण शुल्क	40,89,800	44,64,800	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,09,95,351	2,03,93,594
पीवी अंशदान शुल्क	20,98,500	38,12,500	भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	16,758	33,771
वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) – जीन निधि	1,03,75,705	1,90,14,771			
डीयूएस परीक्षण शुल्क	57,72,000	74,58,000	II जमा खातों में		
अन्य आय (पूर्वावधि सहित)	-	2,76,039	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,50,00,000	7,69,75,000
वार्षिक नवीकरण शुल्क	70,62,000	26,60,000	केनरा बैंक (जीन निधि)	15,93,43,786	12,50,42,176
पुराने समाचार-पत्रों, स्क्रीप की बिक्री	-	1,600	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया –जीन निधि	12,12,31,037	10,12,46,700
प्राधिकरण निधि से योगदान	2,00,00,000	4,00,00,000	केनरा बैंक (प्राधिकरण)	25,39,56,570	21,36,12,151
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – प्राधिकरण	16,71,04,312	18,88,08,444
10. जीपीएफ आवर्ती जमा	-	-	भारतीय स्टेट बैंक (प्राधिकरण)	-	22,57,000
11. प्राप्त की गई सीजीईजीआईएस राशि	-	1,320	III बचत खातों में		
			केनरा बैंक	3,68,25,577	1,86,68,834
12. आयकर विभाग से वापसी	25,35,000	17,11,142	भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,42,396	1,17,612
			भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	1,28,540	1,10,834
13. परिसम्पत्ति की बिक्री	-	10,380	केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	5,16,526	7,06,593
			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,40,540	1,19,963
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14,14,411	37,202
कुल	1,29,66,94,772	1,37,42,33,464	कुल	1,29,66,94,772	1,37,42,33,464

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

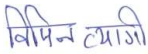
दिनांक: 28 जून, 2023

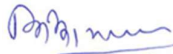
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 1 – कोष/ पूंजी निधि	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क) प्राधिकरण निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	43,78,29,619		36,96,41,134	
जोड़ें : अचल सम्पत्ति के प्रयुक्त के लिए निधि	4,36,165		3,45,368	
जोड़ें (घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	3,21,37,477	47,04,03,261	6,78,43,117	43,78,29,619
पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	1,16,49,90,000		76,50,00,000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान जमा	3,14,00,000	1,19,63,90,000	39,99,90,000	1,16,49,90,000
ख) जीन निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	31,39,65,986		25,21,76,573	
जोड़ें (घटाएँ) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	4,77,48,118	36,17,14,104	6,17,89,413	31,39,65,986
वर्ष के अंत में शेष		2,02,85,07,365		1,91,67,85,605

अनुसूची 2: आरक्षित तथा अधिशेष	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
1. पूंजी संचय		-		-
2. पुनर्मूल्यांकन संचय		-		-
3. विशेष संचय		-		-
4. सामान्य संचय		-		-
कुल		-		-


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार


त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 3 - चिह्नित आय/स्थायी निधि	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-		-	
ख. वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
कुल (क+ख)		-		-
ग. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग/व्यय				
1. पूंजी व्यय	-		-	
2. राजस्व व्यय	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		-		-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

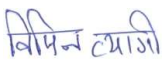
त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

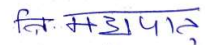
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार – विशिष्ट		-		-
3. वित्तीय संस्थान		-		-
4. बैंक		-		-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		-		-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		-		-
7. अन्य		-		-
कुल		-		-


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

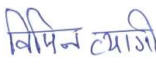

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

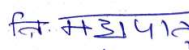
राशि रुपये में

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार – विशिष्ट	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	.	.

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख. अन्य	-	-
कुल	.	.


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार


त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 7- चालू दायित्व एवं प्रावधान	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
क. चालू दायित्व				
1. स्वीकृतियां	-		-	
2. विविध लेनदात्री				
क. माल के लिए	-		-	
ख. अन्य के लिए	69,74,367		35,15,186	
ग. स्टाफ के लिए				
बकाया वेतन	22,31,419	92,05,786	5,04,337	40,19,523
3. अग्रिम प्राप्ति				
आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम	-		-	
निविदा के विरुद्ध प्रतिभूति	60,000	60,000	60,000	60,000
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य के लिए	-		-	
वस्तु एवं सेवा कर देय	1,106		-	
स्रोत पर काटा गया कर	4,92,101		41,85,975	
नई पेंशन योजना	4,79,191		1,70,721	
लाइसेंस शुल्क	21,748		15,680	
जीपीएफ	1,06,085		26,925	
सीजीएचएस	3,000		-	
सीजीईजीआईएस	3,740		1,255	
जीन निधि को देय	70,11,410	81,18,381	-	44,00,556
6. अन्य चालू दायित्व				
अप्रयुक्त वापसी योग्य अनुदान	2,57,15,974		17,99,985	
परियोजना संपत्ति व्यय हेतु प्रावधान	-		1,76,606	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	14,36,086		2,62,050	
सी.पी.एफ. निधि लेखा(प्राधिकरण द्वारा देय ब्याज)	54,870		33,514	
भारत की समेकित निधि को देय अनुदान पर अर्जित ब्याज	11,78,608		20,79,288	
एल एस एवं पीसी	14,79,973		11,46,893	
अवगीकृत प्राप्ति (प्राधिकरण/जीन निधि)	4,55,58,858	7,54,24,369	2,29,57,500	2,84,55,836
कुल (क)		9,28,08,536		3,69,35,915
ख. प्रावधान				
1. उपादान	75,63,282		73,99,166	
2. संचित छुट्टी नकदीकरण	84,16,764		92,72,205	
3. विभिन्न केन्द्रों को अदा किए गए अनुदान पर व्यय	14,44,97,316		11,34,55,494	
4. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	2,17,34,904	18,22,12,266	2,39,02,414	15,40,29,279
कुल (ख)		18,22,12,266		15,40,29,279
कुल (क + ख)		27,50,20,802		19,09,65,194

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को पुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 8- अचल संपत्ति और पूंजीगत चालू कार्य		सकल ब्लॉक				संचयी मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक		
विवरण		1 अप्रैल 2022 को लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2023 को लागत / मूल्यांकन	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन	समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क.	अचल सम्पत्ति											
1	भूमि											
	क. पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख. पट्टे पर	30	-	-	30	11	1	-	-	12	18	19
2	भवन											
	क. पूर्णस्वामित्व भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख. पट्टा भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ग. स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ. भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	13,91,182	-	-	13,91,182	9,28,434	46,275	-	-	9,74,709	4,16,473	4,62,748
3	संचयन मशीनरी व उपकरण	32,71,835	-	-	32,71,835	26,61,171	91,600	-	-	27,52,771	5,19,064	6,10,664
4	वाहन	6,88,822	-	-	6,88,822	2,97,526	58,694	-	-	3,56,220	3,32,602	3,91,296
5	फर्नीचर और फिक्सचर्स	46,24,060	-	-	46,24,060	28,41,056	1,78,300	-	-	30,19,356	16,04,704	17,83,004
6	कार्यालय उपकरण	22,72,058	1,15,370	-	23,87,428	9,05,473	2,26,204	-	-	11,31,677	12,55,751	13,66,585
7	कम्प्यूटर (बाह्य उपकरण)	1,34,31,700	3,20,795	79,000	1,36,73,495	1,29,31,833	3,23,565	-	72,857	1,31,82,541	4,90,954	4,99,867
8	पुस्तकालय पुस्तकें	24,18,678	-	-	24,18,678	24,12,926	2,301	-	-	24,15,227	3,451	5,752
9	अन्य अचल सम्पत्तियाँ (सॉफ्टवेयर सीडी आदि)	9,80,988	-	-	9,80,988	9,64,942	6,418	-	-	9,71,360	9,628	16,046
10	व्यापार चिह्न	43,700	-	-	43,700	5,463	9,559	-	-	15,022	28,678	38,237
	कुल	2,91,23,053	4,36,165	79,000	2,94,80,218	2,39,48,835	9,42,917	-	72,857	2,48,18,895	46,61,323	51,74,218
	पिछले वर्ष	2,97,63,279	3,45,368	9,85,593	2,91,23,055	2,39,04,314	10,19,734	-	9,75,213	2,39,48,835	51,74,218	58,58,965
ख	पूंजीगत चालू कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूंजीगत चालू कार्य - भवन	1,05,92,02,929	15,25,97,520	-	1,21,18,00,449	-	-	-	-	-	1,21,18,00,449	1,05,92,02,929
	पूंजीगत चालू कार्य - सॉफ्टवेयर	7,65,350	-	-	7,65,350	-	-	-	-	-	7,65,350	7,65,350
	वर्तमान वर्ष का कुल	1,05,99,68,279	15,25,97,520	-	1,21,25,65,799	-	-	-	-	-	1,21,25,65,799	1,05,99,68,279
	पिछले वर्ष	30,55,16,228	9,750	-	30,55,25,978	-	-	-	-	-	1,05,99,68,279	30,55,16,228

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डि. के. अग्रवाल

डि. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 9- निवेश-चिन्हित/स्थायी निधि से	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य - विनिर्दिष्ट किया जाए	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 10- निवेश-अन्य	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य - विनिर्दिष्ट किया जाए	-	-
कुल	-	-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
1. चालू सम्पत्तियां				
1. माल				
क. भंडार एवं पुर्जे	1,79,760		53,225	
ख. स्टेशनरी	1,56,907		74,282	
ग. बिक्री के लिए माल	-	3,36,667	-	1,27,507
2. विविध देनदार		-		-
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय/स्टैम्प सहित)				
अग्रदाय				
प्राधिकरण	-		-	
गुवाहाटी	1,458		-	
पुणे	-		-	
रांची	673		-	
शिवमोगा	-		-	
पालमपुर	11,842	13,973	841	841
4. डाक टिकट		1,73,221		1,61,057
5. बैंक शेष				
क) अनुसूचित बैंक के पास				
चालू खातों पर				
प्राधिकरण निधि -एसबीआई	11,62,153		5,94,560	
जीन निधि - एसबीआई	2,09,95,350	2,21,57,503	2,03,93,594	2,09,88,154
जमा खातों पर				
जीन निधि - सावधि जमा एसबीआई	7,50,00,000		7,69,75,000	
जीन निधि - सावधि जमा केनरा बैंक	15,93,43,786		12,50,42,176	
जीन निधि - सावधि जमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12,12,31,037		10,12,46,700	
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा केनरा बैंक	25,39,56,570		20,84,33,477	
प्राधिकरण निधि- सावधि जमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	16,71,04,312		18,88,08,444	
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा एसबीआई	-	77,66,35,705	22,57,000	70,27,62,797
बचत खातों पर				
केनरा बैंक - प्राधिकरण	3,61,05,081		1,86,68,266	
एसबीआई - गुवाहाटी	1,42,396		1,17,612	
एसबीआई - रांची	1,28,540		1,10,834	
एसबीआई -पालमपुर	16,758		33,771	
केनरा बैंक - शिवमोगा	5,16,526		7,06,593	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	14,14,411		37,202	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे	1,40,540	3,84,64,253	1,19,963	1,97,94,241
ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित				
चालू खाते पर	-		-	
जमा खाते पर	-		-	
बचत खाते पर	-	-	-	-
कुल (क)		83,77,81,322		74,38,34,597

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
ख. ऋण अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ				
1. ऋण				
क. स्टाफ	15,368		1,351	
ख. इसी तरह की गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-		-	
ग. अन्य	-	15,368	-	1,351
2. अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में या वसूली योग्य है				
क. पूंजीगत खाते पर				
प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए अग्रिम	-		9,95,18,402	
वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम	64,14,400		64,14,400	
सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अग्रिम	10,59,958	74,74,358	10,59,958	10,69,92,760
ख. पूर्व भुगतान				
पूर्वदत्त व्यय	33,138		30,532	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए जारी अनुदान	15,98,534		24,24,385	
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए जारी अनुदान	2,72,98,134		2,98,78,018	
बाहरी विभागों के लिए अग्रिम	23,86,150		55,74,520	
नए डीयूएस केन्द्र को जारी अनुदान	4,24,55,036		3,68,00,438	
वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को जारी अनुदान	11,53,71,142		9,01,58,378	
फील्ड जीन बैंक को जारी अनुदान	43,88,090		27,81,492	
संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अनुदान	49,714		49,714	
बीज बैंक की नई स्थापना के लिए जारी अनुदान	10,83,782	19,46,63,720	25,28,347	17,02,25,824
ग. अन्य				
आय कर वसूली योग्य (प्राधिकरण व जीन निधि)	23,60,085		43,12,157	
सीपीएफ प्राप्य	45,000		45,000	
प्रतिभूति जमा - टाटा पावर	55,57,500			
प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	1,000		1,000	
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान प्राप्य	-		5,88,433	
जीन निधि से प्राप्य	70,11,409	1,49,74,994	-	49,46,590
3. उपार्जित आय				
क. चन्हित/स्थायी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. निवेश पर - अन्य	-		-	
ग. ऋण तथा अग्रिम पर	-		-	
घ. अन्य	-		-	
-भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज	1,44,07,422		95,43,373	
-भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज - जीन निधि	1,50,51,739		51,35,807	
बचत खातों पर अर्जित ब्याज	122		-	
-वार्षिक शुल्क वसूली योग्य (जीन निधि)	19,32,000	3,13,91,283	19,28,000	1,66,07,180
कुल (ख)		24,85,19,723		29,87,73,705
कुल (क+ख)		1,08,63,01,045		1,04,26,08,302

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 12. बिक्री/सेवाओं से आय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1. बिक्री से आय	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 13 - अनुदान/अनुवर्ती - प्राधिकरण निधि	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
केन्द्र सरकार	44,77,77,218	61,16,04,547
घटाएं- वापसी योग्य अप्रयुक्त अनुदान	2,57,15,974	17,99,985
घटाएं- अचल संपत्ति के लिए उपयोग की गई निधि	4,36,165	3,45,368
घटाएं- पूंजीगत अनुदान में स्थानांतरण	3,14,00,000	39,99,90,000
राज्य सरकार	-	-
सरकारी एजेंसियां	-	-
संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
अन्य	-	-
कुल	39,02,25,079	20,94,69,194
अनुदान/अनुवर्ती (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	2,00,00,000	4,00,00,000
कुल	2,00,00,000	4,00,00,000

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची-14- शुल्क/अंशदान (प्राधिकरण निधि)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
डीयूस परीक्षण शुल्क	57,24,500	73,70,000
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	40,67,800	42,93,600
अंशदान/पी वी शुल्क	20,68,500	38,11,500
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क/डीयूस शुल्क	-	-
विरोध की सूचना के लिए शुल्क	-	-
वार्षिक नवीकरण शुल्क	69,62,000	24,50,000
विस्तार देने के लिए शुल्क	-	-
वार्षिक शुल्क	-	-
निरीक्षण शुल्क	-	-
कुल	1,88,22,800	1,79,25,100
शुल्क/अंशदान (जीन निधि)		
बीज की बिक्री से हिस्सा / रॉयल्टी	82,48,651	1,76,47,747
वार्षिक शुल्क	22,02,820	27,39,512
अन्य	2,000	1,000
कुल	1,04,53,471	2,03,88,259

राशि रुपये में

अनुसूची 15. निवेश से आय	चिन्हित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. अंशों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डि. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची
राशि रुपये में

अनुसूची 16 – रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रॉयल्टी से आय	-	-
प्रकाशन से आय	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1. अवधि जमा/सावधि जमा		
अनुसूचित बैंकों के पास		
सावधि जमा (एसबीआई)	1,00,836	38,61,308
सावधि जमा (केनरा बैंक)	1,37,24,813	1,64,25,021
सावधि जमा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	1,00,13,578	27,71,388
गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
संस्थाओं के साथ	-	-
अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों के पास (केनरा बैंक)	12,69,850	18,98,120
अनुसूचित बैंकों के पास (एसबीआई)	1,12,586	6,900
अनुसूचित बैंकों के पास (बैंक ऑफ महाराष्ट्र)	3,628	3,551
3. ऋण पर	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	1,32,795	1,20,740
5. आयकर विभाग से ब्याज	5,82,928	1,97,121
कुल	2,59,41,014	2,52,84,149
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. अवधि जमा/सावधि जमा पर		
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,90,89,390	1,23,98,132
कुल	1,90,89,390	1,23,98,132

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची राशि रुपये में

अनुसूची 18 – अन्य आय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	9,120	9,120
पुराने समाचार, पत्रिका व स्कैप से बिक्री	-	1,600
अपलिखित देयता	(33,757)	2,63,707
विविध आय (अन्य)	18,728	10
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया	1,05,642	59,44,671
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की प्राप्ति	1,66,038	5,88,433
कुल	2,65,771	68,07,541
अन्य आय (जीन निधि)		
विविध आय	-	304
कुल	-	304

राशि रुपये में

अनुसूची 19— तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि / कमी	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतिम रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आरंभिक रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 20— स्थापना व्यय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल वेतन	1,67,59,477	1,45,83,983
पेंशन / परिवर्तित पेंशन	39,27,534	-
विशेष वेतन	9,210	20,640
प्रतिनियुक्ति भत्ता	1,78,425	1,08,000
बोनस	34,540	41,448
महंगाई भत्ता	68,43,050	44,20,687
यात्रा भत्ता	11,95,503	11,15,972
नई पेंशन योजना में अंशदान	19,94,447	18,61,815
मानदेय	1,52,000	-
मकान किराया भत्ता	32,80,328	31,04,727
छुट्टी नकदीकरण	13,08,616	19,36,120
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	14,79,973	11,86,361
छुट्टी यात्रा रियायत	3,20,807	61,305
बाल शिक्षा भत्ता	3,35,250	3,39,750
उपादान	4,60,468	14,21,928
मजदूरी	2,90,29,376	2,45,37,675
स्टाफ कल्याण व्यय (चिकित्सा व्यय)	3,63,298	3,15,032
कुल	6,76,72,302	5,50,55,443

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 21— अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)	राशि रुपये में	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षण शुल्क	1,38,960	-
सामान्य सेवा शुल्क	12,99,037	8,49,058
बिजली एवं पानी व्यय	3,96,915	2,80,031
प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों पर व्यय	32,11,038	2,60,637
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	13,61,914	7,40,515
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	11,80,852	21,39,512
किराया शुल्क — समिति कक्ष	97,000	-
किराया शुल्क — वाहन	20,27,648	15,34,301
किराया शुल्क — पीओएस मशीन	7,670	7,316
आतिथ्य व्यय	5,07,797	3,26,477
हाउस कीपिंग / ऑफिस मेंटेनेंस खर्च	1,37,770	1,16,563
बीमा	13,130	14,463
विविध व्यय	14,35,512	2,83,046
समाचार पत्र	1,21,156	1,26,198
डाक, दूरसंचार एवं दूरभाष	11,06,138	6,85,956
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	10,76,794	9,60,320
पैकिंग सामग्री	-	51,330
व्यावसायिक शुल्क	44,17,646	37,90,491
प्रचार एवं विज्ञापन	85,180	7,88,181
किराया, दर एवं कर	12,61,163	12,30,174
वाहन परिचालन और रखरखाव	1,32,148	96,413
मरम्मत एवं रखरखाव	3,52,353	2,74,532
राजभाषा खर्च	79,749	73,000
बैठक शुल्क	69,600	24,800
सदस्यता शुल्क का भुगतान	13,615	13,618
बैंक शुल्क	25,154	43,863
निगरानी व्यय	22,82,489	26,27,324
यात्रा व्यय — घरेलू (स्टाफ)	30,05,474	9,85,109
यात्रा व्यय — अंतरराष्ट्रीय (बाहरी)	17,136	-
9वीं जीबी बैठक व्यय— आईटीपीजीआरएफए	15,32,80,790	-
कुल	17,91,41,828	1,83,23,228
अन्य प्रशासनिक व्यय (जीन निधि)		
कार्यक्रम प्रबंधन व्यय	90,124	8,39,957
विविध व्यय	-	-
प्रचार एवं विज्ञापन व्यय	2,60,758	-
यात्रा व्यय — घरेलू (विशेषज्ञ)	-	9,01,362
यात्रा व्यय — बाहरी	18,124	7,74,739
किराया शुल्क — वाहन	-	1,43,106
किराया शुल्क — समिति कक्ष	-	97,000
पुरस्कार एवं सम्मान	-	80,50,000
स्मृति चिन्ह	-	1,50,469
प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम पर खर्च	-	-
बैंक शुल्क	826	649
कुल	3,69,832	1,09,57,282

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

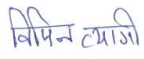
डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

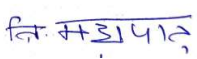
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

	राशि रुपये में	
अनुसूची 22- अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	11,53,10,962	7,41,69,608
परियोजनाओं पर किया गया खर्च	1,37,03,716	80,01,761
जीन निधि को अंशदान	2,00,00,000	4,00,00,000
कुल	14,90,14,678	12,21,71,369

	राशि रुपये में	
अनुसूची 23- ब्याज	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सावधि ऋण पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण पर	-	-
ब्याज का भुगतान - सरकार	11,78,608	12,45,121
अन्य	-	33,514
कुल	11,78,608	12,78,635
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण पर (जीन निधि)	-	-
कुल	-	-


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार


त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुसूची 24

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों और लेखा महानियंत्रक द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की अर्जन विधि को अपनाती है, जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडारों के स्टॉक, खपत योग्य तथा अन्य वस्तु सूची मदों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों को लागत में से कुल मूल्यघटस को घटा कर दिखाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी ऐसी प्रत्यक्ष लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को उसकी कार्यदशा में प्रयोग हेतु लाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी शामिल किया जाता है उस अवधि के लिए जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण बताए गए मूल्य पर तदानुसार जमा पूंजी संचय में किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1/-रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

4. मूल्यघटस

- क) मूल्यघटस प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर घटित मूल्य पर किया जाता है।
- ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यघटित किया जाता है।
- ग) पट्टे पर ली गई भूमि पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है।

5. पट्टेदारी

पट्टेदारी का किराया लीज़ की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

6. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि जिसे पूर्व लेखा अवधि में

लेखांकित किया जा चुका है, को वापस कर लिया जाता है, यदि अनुमानित या वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन होता है।

7. विभिन्न व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपलिखित कर दिए जाते हैं।

8. सरकारी अनुदान/अनुवर्ती

(क) i एकमुश्त अनुदान सहायता भारत सरकार से पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त होती है।

ii अनुदान सहायता से सृजित द्वासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है।

iii वर्षांत अप्रयुक्त अनुदान की राशि को जिसे सरकार से प्राप्त किया गया है को प्राप्त अनुदान से घटाया जाता है और दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। जहां पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के पुनर्वैधीकरण और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहां सरकार को देय राशि को वर्ष के लिए अनुदान में फिर से जमा किया गया है।

iv सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की संचित निधि में कर दिया जाता है।

v. डीयूएस केन्द्रों तथा अन्यो को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी अनुदान सहायता/अनुदान को, केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि के रूप में दिखाया जाता है और संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्यो से निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र होने पर वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्र/अन्यो को अनुदान के नाम पक्ष में दिखाया जाता है और वर्ष के अंत में अनुदान की शेष राशि केन्द्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त राशि के रूप में दिखाई जाती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्ष के लिए प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को प्रावधान से समायोजित किया जाता है। यदि कोई प्रावधान न हो तो इसे पूर्व अवधि समायोजित खाते में दिखाया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि भुगतान की गई अनुदान राशि से अधिक है तो प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की जाती है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया जाता है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

घ) प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के रखरखाव पर हुए व्यय को उसी प्रकार लेखाकृत किया जाता है, जैसा डीयूएस केन्द्रों के मामले में होता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दिखाए जाते हैं।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

- क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।
- ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता अर्जन आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

11. कर-निर्धारण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

प्रावधान करते समय अनुमान की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो और यह संभावी हो कि संसाधनों की निकासी होगी। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

13. आय और व्यय

इस अनुच्छेद के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को अर्जन आधार पर लेखे के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

- क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।
- ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।
- घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या प्रकटीकरण की विधि का पता लगाने में महत्वपूर्ण होने की संकल्पना पर ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

14. राजस्व मान्यता

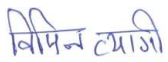
- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होता है।
(ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा इसके विरुद्ध अदा की गई अनुदान राशि, संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।
- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को दावेदारों की देयता के रूप में माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।
- घ) अग्रिम में प्राप्त पीवीजे सदस्यता को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित सीमा तक पूर्व अदा किए गए के रूप में शामिल किया जाता है।
- ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

15. पृथक प्रकटीकरण

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखों में पृथक प्रकटीकरण किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि' मदों में वे मदें शामिल हैं जो ऐसे आय अथवा व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'असाधारण मदें' जो आय या व्यय की महत्वपूर्ण मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इनके बार-बार या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'विभिन्न आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखों में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।

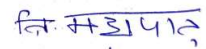
- घ) 'विभिन्न व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/—रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखों में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डॉ. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

अनुसूची 25

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जहां पर आवेदकों के द्वारा आवेदन राजपत्र अधिसूचना के पूर्व किया था जिसकी राशि 29,15,000 रुपये (पिछले वर्ष 29,15,000 रु.) के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय दिया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की राशि अनमान योग्य नहीं है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण के संबंध में पूंजीगत खाते के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है 8,37,61,034 /—रु. (पिछले वर्ष 11,51,61,034 /—रु. है।

3. पट्टे संबंधी बाध्यता

(क) प्राधिकरण में अपने मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए पट्टेदारी संबंधी निम्न व्यवस्था है:

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	पट्टेदार	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया (रु.)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया
दिल्ली मुख्यालय	भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	—	2,69,508 /—	2,69,508 /—
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	25 वर्ष	60,000 /—	60,000 /—
रांची शाखा कार्यालय	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची	25 वर्ष	60,000 /—	60,000 /—
शिवमोगा शाखा कार्यालय	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा	25 वर्ष	3,15,600 /—	3,15,600 /—
पालमपुर शाखा कार्यालय	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	25 वर्ष	1,86,840 /—	1,86,840 /—
पुणे शाखा कार्यालय	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	25 वर्ष	3,69,215 /—	3,38,226 /—

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 के द्वारा 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को आबंटित की है जिसे आपसी समझौते से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक पट्टा संलेख किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा 30 वर्ष की सम्पूर्ण लीज अवधि के लिए 30 रु की कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हरभजन इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर 30 वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करके भवन निर्माण प्रारम्भ किया है। परियोजना की लागत सह-स्वामियों के बीच परियोजना के पूरे होने के पश्चात् निर्मित क्षेत्र के अनुपात के अनुसार आबंटित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पौधा प्राधिकरण भवन निर्माण के लिए 1,27,38,82,365/-रु. की लागत स्वीकृत की है जिसका निर्माण कार्य अगस्त 2023 तक पूरा होने की आशा है। अब की तिथि तक निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएनएल) को 1,18,41,35,849/-रु. की राशि (पिछले वर्ष 1,15,27,35,849/-रु. की राशि) अदा की जा चुकी है जिसके विरुद्ध 1,18,41,35,849/-रु. (पिछले वर्ष 1,05,32,17,447/-रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष शून्य रु. (पिछले वर्ष 9,95,18,402/-रु.) को लेखों में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। पौधा प्राधिकरण भवन के निर्माण पर व्यय की गई राशि को मैसर्स यूपीआरएनएन से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर और प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि को पूंजीगत चालू कार्य में अनुसूची 8 (ब) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5. अचल सम्पत्तियां

31.03.2023 को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा गठित एक दल द्वारा किया गया। यह सूचित किया गया है कि सम्पत्तियों की कोई कमी/बढ़ोतरी नहीं पाई गई है।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

(क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त 45,000/-रु. की राशि अग्रिम के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय से वापस लिया जाना है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) विद्यमान डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ख), नए डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ग) संदर्भ प्रयोगशालाओं (अनुबंध-घ), फील्ड जीन बैंकों (अनुबंध-ड.) और प्रशिक्षण केन्द्रों (अनुबंध-च) को दी गई अनुदान राशि में परिवर्तन इस प्रकार है:

31 मार्च 2023 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीनबैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	9,01,58,378 /—	3,93,28,785 /—	49,714 /—	27,81,492 /—	2,98,78,018 /—
जमा: वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गईं	8,49,25,974 /—	2,83,15,185 /—	--	30,10,629 /—	14,70,000 /—
जमा: हस्तांतरण	5,15,851 /—	3,00,000 /—	--	--	88,799 /—
जमा: अर्जित ब्याज	69,433 /—	79,112 /—	--	--	--
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	6,02,31,429 /—	2,33,59,264 /—	--	14,04,031 /—	35,12,579 /—
घटाएं: प्राप्त वापसी	67,065 /—	11,25,000 /—	--	--	6,26,104 /—
31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	11,53,71,142 /—	4,35,38,818 /—	49,714 /—	43,88,090 /—	2,72,98,134 /—

31 मार्च 2022 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीनबैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	7,20,79,232 /—	3,41,05,563 /—	49,714 /—	2,45,364 /—	3,04,58,018 /—
जमा: वर्ष 2021-22 के दौरान जारी की गईं	6,86,39,980 /—	2,27,33,907 /—	--	34,33,325 /—	80,000 /—
जमा: हस्तांतरण	--	--	--	--	--
जमा: अर्जित ब्याज	82,332 /—	40,369 /—	--	--	--
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	5,06,43,165 /—	1,74,57,218 /—	--	8,97,197 /—	5,80,000 /—
घटाएं: प्राप्त वापसी	--	93,836 /—	--	--	80,000 /—
31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	9,01,58,378 /—	3,93,28,785 /—	49,714 /—	27,81,492 /—	2,98,78,018 /—

घ. बकाया अग्रिम डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए समायोजन और पुष्टि के अधीन हैं।

ड. वर्ष 2022-23 के लिए विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं से वर्ष 2022-23 और उससे पहले की अवधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की लंबित प्राप्तियों के लिए 8,58,49,179/—रु. (पिछले वर्ष 4,22,52,118/—रु.), का खातों में संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के प्रति व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2022-23 के दौरान 16,843/—रु. (पिछले वर्ष 59,44,671/— रु.), का प्रावधान संस्थानों/संगठन को दिए गए अनुदान के विरुद्ध खर्च के लिए वापस किया गया है,। 31 मार्च 2023 तक विद्यमान डीयूएस

केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों और संदर्भ प्रयोगशालाओं के संबंध में कुल प्रावधान 14,44,97,316 /— रु. (पिछले वर्ष 11,34,55,494 /— रु.) और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 2,17,34,904 /— रु. (पिछले वर्ष 2,39,02,414 /— रु.) है।

च. वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर देय माना गया है। यदि पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि वार्षिक शुल्क की देय तिथि के पूर्व समाप्त हो जाती है तो उस वार्षिक शुल्क को प्राप्य नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 अगस्त 2009 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रजनकों या एजेंट और लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री मूल्य और रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत अदा करना होता है। उन बचे हुए मामलों में जिनमें प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी से उपलब्ध बिक्री राशि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, बकाया राशि के लिए आय की गणना नहीं की गई है, जिसके लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रजनक, एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों तक शुल्क जमा कराने में असफल रहता है तो उसे नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और नोटिस के निर्देश न पूरे किए जाने पर, सभी उपलब्ध सुरक्षाएं जब्त कर ली जाती हैं।

7. कर-निर्धारण

(क) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 91 के अनुसार “प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर सम्पत्ति कर, आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है” अतः वर्तमान और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) आयकर विभाग से पिछले वर्षों में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की वापसी के दावे की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। प्राधिकरण के द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टीडीएस की वापसी हेतु विभाग से प्राप्त सूचना के संदर्भ में आयकर विवरणी जमा की गयी है। आयकर विभाग के द्वारा उनके आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2023 में आकलन पूर्ण करके 18,06,003/- रु का वापसी आदेश जारी किया गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

8. उच्चत

उच्चत का अंतिम शेष मुख्यालय तथा शाखावार निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में)

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
दिल्ली मुख्यालय	शून्य	शून्य
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	1,458 /—	शून्य
रांची शाखा कार्यालय	673 /—	शून्य
शिवमोगा शाखा कार्यालय	शून्य	शून्य
पालमपुर शाखा कार्यालय	11,842 /—	841 /—
पुणे शाखा कार्यालय	शून्य	शून्य
कुल	13,973 /—	841 /—

9. सरकारी अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 4,36,165 /—रु. (पिछले वर्ष 3,45,368 /—रु.) है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) **ग्रेच्युटी** : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	73,99,166 /—	59,77,238 /—
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	4,60,468 /—	14,21,928 /—
ग)	भुगतान किए गए लाभ	20,00,000 /—	---
घ)	अधिग्रहण समायोजन	17,03,648 /—	---
च)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	75,63,282 /—	73,99,166 /—

बीमांकिक अवधारणाएं

विवरण	2022-23	2021-22
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.34%	7.16%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

(ख) **छुट्टी नकदीकरण** : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत लेखा मानक संख्या-15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क.	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	92,72,205/-	73,73,551/-
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	9,82,623/-	18,98,654/-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	24,90,186/-	--
घ)	अधिग्रहण समायोजन	6,52,122/-	--
च)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	84,16,764/-	92,72,205/-

बीमांकित अवधारणाएं

विवरण	2022-23	2021-22
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.34%	7.16%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा 3,73,47,214/- रु. (81.8425 रुपये की दर से 277960 अमेरिकी डालर और 81.86 रुपये की दर से 178332.19 अमेरिकी डालर) की राशि विदेशी मुद्रा में प्रेषित की गई है।

12. पूर्वावधि समायोजन लेखा

विभिन्न डीयूएस केन्द्र, परियोजनाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को दिए गए अग्रिम का समायोजन वर्ष 2022-23 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2021-22 या पूर्व अवधि से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्रों को प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया है और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए जिसमें संबंधित वर्षों में कोई संपत्ति/दायिता सृजित नहीं की गई उन्हे भी पूर्व अवधि समायोजन लेखों में लेखाकृत किया गया है।

13. लेखा नीतियों में परिवर्तन

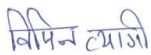
प्राधिकरण के द्वारा अपनी लेखा नीति 8. अ) सरकारी अनुदान/अनुवर्ती को, वार्षिक खातों के लिए निर्धारित प्रारूप के साथ एकरूपता लाने के लिए संशोधित किया गया है। इसके कारण आय का व्यय पर आधिक्य रूप 9,42,917/- से कम हो गया है।

14. विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/नए डीयूएस केन्द्रों/फील्ड जीनबैंकों/संदर्भ प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र लिखे गए हैं और यह अनुरोध किया गया है कि वे शेष राशि की पुष्टि करें तथा असहमति के मामले में अपनी टिप्पणियां दें। कुछ मामलों में पुष्टि संबंधी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। केन्द्रों द्वारा कोई कमी रिपोर्ट किए जाने पर लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया गया है।

15. पुनः समूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/राउंडिंग ऑफ/सामंजस्य

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

16. लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

अनुबंध-क

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्राधिकरण निधि				
1	प्रशासनिक	5,49,984	9,90,277	(4,40,293)	(61,12,427)
2	अचल सम्पत्ति	-	-	-	-
3	प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-
4	स्थापना	21,22,027	1,79,573	19,42,454	(1,76,015)
5	ब्याज	37,00,443	15,750	36,84,693	10,900
6	जीन निधि को अदा किया गया अनुदान	-	-	-	-
7	डीयूएस शुल्क आदि	-	20,000	(20,000)	72,000
	कुल	63,72,454	12,05,600	51,66,854	(62,05,542)

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	जीन निधि				
1	ब्याज	4,44,634	-	4,44,634	-
2	वार्षिक/नवीकरण/पंजीकरण/डीयूएस शुल्क आदि	-	10,000	(10,000)	-
3	प्रशासनिक व्यय	9,90,277	-	9,90,277	40,000
	कुल	14,34,911	10,000	14,24,911	40,000

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
1	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कुर्सियोग	चाय	1,00,000	-	-	-	-	-	1,00,000			-	1,00,000
2	बीसीकेवी - बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	कचालू और तारो	5,10,211	-	-	-	-	-	5,10,211			-	5,10,211
3	एनबीपीजीआर, आईसीएआर - यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	चौलाई	19,041	-	-	-	-	-	19,041			-	19,041
4	आनुवंशिकी संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		35,026	-	-	-	-	-	35,026			-	35,026
5	जीबीपीयू एवं टी - गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	27,475	-	-	-	-	-	27,475			-	27,475
6	आईआईएचआर, आईसीएआर-यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा, कार्नेशन	7,27,232	6,96,642	-	-	-	7,87,017	8,17,607			4,81,911	3,35,696
7	सीटीसीआरआई - केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम	शकरकंदी एवं कसावा	9,43,317	-	6,14,423	-	-	6,14,423	9,43,317			5,94,503	3,48,814
8	एनबीआरआई, आईसीएआर-यूनिट, लखनऊ	ग्लेडियोलस, बोगन्वीलिया और केली	3,23,177	-	-	-	7,318	8,04,388	11,34,883			4,67,762	6,67,121
9	एनएआरपी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चाइना ऐस्टर	1,00,000	-	-	-	-	-	1,00,000			-	1,00,000
10	डीएफआर (पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय), भा. कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली	ग्लेडियोलस	1,45,779	-	-	-	-	6,15,000	7,60,779			6,08,759	1,52,020
11	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	7,18,905	-	-	-	-	3,00,000	10,18,905			-	10,18,905
12	पुष्पविज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., भा.कृ.अ.प. -यूनिट, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,24,295	-	-	-	-	-	1,24,295			-	1,24,295
13	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चमेली	6,91,088	-	-	-	-	7,54,157	14,45,245			4,91,355	9,53,890
14	जीन अभियान (कृषक किस्मों का गुण निर्धारण), नई दिल्ली	-	1,40,000	-	-	-	-	-	1,40,000			-	1,40,000
15	ए एवं एफपी (कृषि एवं खाद्य उत्पादन), मुक्नेश्वर	चावल	1,50,003	-	-	-	-	-	1,50,003			-	1,50,003
16	सीआईएचएच, बीकानेर	-	1,71,663	-	-	-	-	5,00,000	6,71,663			-	6,71,663
17	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, श्रीनगर	आड़ू, आलुबुखारा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी व अखरोट	3,65,214	-	-	-	-	24,45,685	28,10,899			-	28,10,899

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित व्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रह किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
18	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	आम	5,73,575	-	-		-	9,63,437	15,37,012		916	7,63,537	7,72,559
19	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	20,15,277	6,71,196	5,61,916			1,23,832	9,05,997		61,916	-	8,44,081
20	यूपीएसआई, कोयम्बटूर	चाय	2,00,000	-	-		-	-	2,00,000			-	2,00,000
21	डीएफआर (पुष्पविज्ञान संभाग), आईएआरआई	रजनीगंधा	3,85,158	-	-		-	5,48,514	9,33,672			7,99,172	1,34,500
22	आईएआरआई, पुष्पविज्ञान संभाग, नई दिल्ली	बोगनवीलिया	6,70,361	5,83,014	-		-	6,82,558	7,69,905			-	7,69,905
23	एमपीकेवी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहडी (पुणे केन्द्र)	चाइना ऐस्टर	5,95,000	-	5,30,570			7,15,570	7,80,000			-	7,80,000
24	पुष्पविज्ञान एवं मृदुशयनिर्माण संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,06,836	-	-		-	-	1,06,836			-	1,06,836
25	आईआईएसआर, कोजिकोटे, भा.कृ.अ.प.-यूनिट	बीज मसाले	2,40,771	-	-		-	-	2,40,771			-	2,40,771
26	यूएस, बंगलौर	चावल	2,54,467	-	-		-	-	2,54,467			-	2,54,467
27	एसकेएनएयू, जोबनेर	जौ	85,554	-	-		-	-	85,554			-	85,554
28	जेएनकेवीबी, जबलपुर	दाल मटर, अलसी एवं मसूर	6,06,586	-	-		-	7,29,844	13,36,430			6,84,022	6,52,408
29	बीसीकेवी (बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान	5,70,000	-	-		-	2,21,368	7,91,368			-	7,91,368
30	आईजीकेवी, रायपुर	चावल	3,39,079	-	-		-	1,92,650	5,31,729			-	5,31,729
31	सीआईएमएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	2,20,188	-	-		-	5,64,859	7,85,047			4,09,989	3,75,058
32	सीएजेडआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जोधपुर	अनार	1,58,111	-	-		-	-	1,58,111			-	1,58,111
33	सीआईएएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बीकानेर	बेर	1,35,624	-	-		-	7,95,176	9,30,800			6,97,944	2,32,856
34	एमपीयूए एवं टी	मक्का	3,00,000	-	-		-	-	3,00,000			-	3,00,000
35	पी एवं एओ, कृषि महाविद्यालय, कोल्हापुर	मक्का	2,12,560	-	-		-	-	2,12,560			-	2,12,560
36	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी, करेला, कद्दू व खीरा	-	-	-		-	8,45,055	8,45,055			6,46,827	1,98,228
37	एसएफआरआई (राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड	21,481	-	-		-	-	21,481			-	21,481

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
38	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बंदगोभी व फूलगोभी	6,44,043	-	-	-	-	-	6,44,043			-	6,44,043
39	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	आम	14,43,779	5,68,779	4,61,280	-	-	6,92,480	11,06,200			5,09,819	5,96,381
40	एनआरसी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, त्रिवी	केला	57,161	-	-	-	-	8,38,589	8,95,750			6,57,946	2,37,804
41	टीआरए, टोकलाई	चाय	7,59,386	-	-	14,590	-	7,83,575	15,57,551			12,78,928	2,78,623
42	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	59,865	-	-	-	-	7,09,250	7,69,115			-	7,69,115
43	टीएनएयू, कोयम्बतूर	गौण अनाज	21,11,045	9,27,044	-	-	-	5,00,000	16,84,001			-	16,84,001
44	एनबीपीजीआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	दाना घौलाई	21,31,460	-	6,45,000	-	-	2,07,538	16,93,998			-	16,93,998
45	टीएनएयू, कोयम्बतूर	चमेली	5,50,125	-	-	-	-	7,02,928	12,53,053			4,58,053	7,95,000
46	डीजीआर (मृगकली अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जुनागढ़	मृगकली	1,91,820	-	-	-	-	5,22,640	7,14,460			1,72,584	5,41,876
47	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	मिर्च	5,47,304	-	-	-	-	-	5,47,304			-	5,47,304
48	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑर्किड	2,32,948	-	-	-	2,350	-	2,35,298			-	2,35,298
49	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	खीरा	4,98,218	-	-	-	-	-	4,98,218			-	4,98,218
50	जेएनकेवीवी, जबलपुर	तिल और रामतिल	7,28,851	-	5,26,407	-	-	7,32,723	9,35,167			-	9,35,167
51	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	तरबूजा और खरबूजा	2,05,751	-	-	-	-	9,35,999	11,41,750			7,51,062	3,90,688
52	सीएसआरटीआई (केन्द्रीय रेशमकीट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), मैसूर	शहतूत	7,99,598	-	-	17,702	-	-	8,17,300			4,03,047	4,14,253
53	जेएनयू (जुनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय), जामनगर	अरण्ड	6,50,575	-	4,24,605	-	-	7,28,823	9,54,793			-	9,54,793
54	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पोंपलर जननद्रव्य	5,95,000	-	-	14,292	-	3,03,608	9,12,900			4,47,753	4,65,147
55	अंगारू (आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	गौण अनाज	5,08,701	-	-	-	-	-	5,08,701			-	5,08,701
56	आईएफजीआईबी (राष्ट्रीय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान), कोयम्बतूर	सफेदा एवं कैसुरीना	9,15,372	-	5,03,926	9,563	-	6,61,037	10,82,046			-	10,82,046
57	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक एवं नसदार तोरी	4,95,237	-	-	-	-	11,08,812	16,04,049			-	16,04,049

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
58	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	7,34,702	-	-		-	3,09,633	10,44,335			7,14,012	3,30,323
59	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	9,66,950	-	-		-	3,66,489	13,33,439			4,12,989	9,20,450
60	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, भा.कृ.अ.प.-यूनिट आईएआरआई, नई दिल्ली	गेंदा	26,725	-	-		-	8,94,475	9,21,200			7,21,024	2,00,176
61	पीवीकेएस (विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला), भा.कृ.अ.प.-यूनिट अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन एवं मक्का	13,93,531	-	11,72,799		-	12,94,205	15,14,937			-	15,14,937
62	डीओजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, राजमुरुनगर	प्याज एवं लहसुन	7,20,950	-	5,31,430		-	10,64,830	12,54,350			-	12,54,350
63	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), भा. कृ.अ.प.-यूनिट, सिक्किम	ऑर्किड	6,07,419	-	-		-	2,09,124	8,16,543			1,14,415	7,02,128
64	एनआरसीपी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट,शोलापुर	अनार	5,85,614	-	-		-	5,06,186	10,91,800			6,41,264	4,50,536
65	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	2,226	-	-		-	12,23,060	12,25,286			-	12,25,286
66	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	गन्ना	1,33,964	-	-		-	11,38,679	12,72,643			-	12,72,643
67	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	पान	2,66,664	-	-		-	6,67,207	9,33,871			4,94,829	4,39,042
68	सीएसएयूए एवं टी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों एवं गेहूँ	2,00,077	-	-		-	11,53,518	13,53,595			-	13,53,595
69	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कालीकट	मसाले	9,74,305	-	6,03,968		-	6,77,146	10,47,483			6,63,802	3,83,681
70	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), भा. कृ.अ.प.-यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	8,16,229	-	-		-	9,12,708	17,28,937			-	17,28,937
71	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूँग, उड़द, मसूर, राजमा व मटर	17,26,978	-	-		-	6,94,255	24,21,233			-	24,21,233
72	बीएसकेकेबी, दपोली	चावल	2,20,816	-	-		-	-	2,20,816			-	2,20,816
73	एनआरसी (राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर	5,84,380	-	-		-	4,49,020	10,33,400			5,51,316	4,82,084
74	आईएआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल	चावल	8,95,836	-	6,08,340		-	6,12,060	8,99,556			-	8,99,556
75	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कोयम्बतूर	गन्ना	3,35,230	-	-		-	21,58,330	24,93,560			14,32,333	10,61,227

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
76	आईजीकेवी, रायपुर	ग्रो आउट परीक्षण (चावल)	11,62,220	-	7,62,120	-	-	5,77,870	9,77,970			-	9,77,970
77	गन्ना प्रजनन संस्थान, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	गन्ना	4,83,770	-	-	-	-	9,04,919	13,88,689			-	13,88,689
78	आईआईडब्ल्यूबीआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, करनाल	जौ और गेहूँ	7,62,633	-	-	-	-	19,51,506	27,14,139			13,92,390	13,21,749
79	डीआरएमआर (तोरीया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, भरतपुर	तोरीया और सरसों	13,49,996	8,93,051	1,89,000	5,15,851	-	5,11,050	12,94,846			6,69,406	6,25,440
80	आरएयू, बीकानेर - मंदौर एआईसीपीएमआईपी, जोधपुर	बाजरा	5,12,320	-	-	-	-	2,69,835	7,82,155			7,48,109	34,046
81	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	जई, लोबिया, गिनी घास और कपास	10,46,980	-	-	-	-	5,68,694	16,15,674			-	16,15,674
82	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, तिरुवनंतरपुरम	जीमीकंद, तारो, कचालू और ग्रेटर याम	6,94,981	-	6,41,926	-	-	23,38,163	23,91,218			8,02,481	15,88,737
83	सीआरआरआई (केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, कटक	चावल	18,52,641	-	-	-	-	13,16,834	31,69,475			-	31,69,475
84	एस्डी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	दालें	8,18,479	-	-	-	-	-	8,18,479			-	8,18,479
85	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला	अरहर, चना, अरहर व कुसुम	14,04,909	-	8,51,896	-	-	13,13,664	18,66,677			-	18,66,677
86	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरी	8,73,255	-	-	-	-	6,17,397	14,90,652			-	14,90,652
87	केएयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय), त्रिशूर	ऑर्किड	14,90,437	-	-	-	-	-	14,90,437			-	14,90,437
88	डीएमएफ़ीआर (औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	औषधीय एवं संगंधीय पौधे	6,05,863	-	-	-	-	3,00,000	9,05,863			5,69,544	3,36,319
89	सीसीएसएफएयू (चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास और चना	9,62,971	-	2,38,425	-	-	4,81,479	12,06,025			-	12,06,025
90	आईएआरआई, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूँ	6,28,113	-	5,90,098	-	-	6,79,598	7,17,613			-	7,17,613
91	सीपीआरआई (केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, शिमला	आलू	8,01,983	-	-	-	-	9,43,017	17,45,000		4,233	-	17,40,767
92	अंगारू (आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का और उड़द	3,51,000	-	-	-	-	-	3,51,000			-	3,51,000
93	एनईएच, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बड़ापानी, मणिपुर	चावल	18,11,152	-	12,60,600	-	-	12,68,520	18,19,072			-	18,19,072
94	सब्जी विज्ञान प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	9,10,000	-	-	-	-	8,15,869	17,25,869			7,96,334	9,29,535
95	पीआईटीएसएयू (प्रो. जय शंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	18,96,003	-	11,20,286	-	-	7,93,336	15,69,053			-	15,69,053

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
96	टीएनएमएच (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बतूर	चावल, सूरजमुखी और मूंगफली	5,16,020	-	-	-	-	6,88,593	12,04,613			11,63,024	41,589
97	सीटीसीआरआई (केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	शकरकंद और कसावा	14,34,468	-	-	-	-	5,93,207	20,27,675			-	20,27,675
98	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	ज्वार	4,42,220	-	-	-	-	8,65,777	13,07,997			-	13,07,997
99	सीआरआईजेएफआर (केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैरकपुर और सीएसआरएस, बुदबुद	पटसन	17,41,620	-	10,68,965	-	-	11,02,445	17,75,100			-	17,75,100
100	एमपीकेवी, राहुरी	कपास	17,00,345	7,80,744	6,68,999	-	-	6,12,479	8,63,081			-	8,63,081
101	आईआईओआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	सूजरमुखी, अरण्ड और कुसुम	8,21,659	-	-	-	-	7,49,441	15,71,100			6,83,852	8,87,248
102	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, केरल	नारियल	2,30,148	-	6,89,592	-	-	7,96,228	3,36,784			-	3,36,784
103	यूएस, जीकेवीके, बंगलुरु	लघु मोटे अनाज	5,50,427	-	-	-	-	8,33,243	13,83,670			-	13,83,670
104	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	अमरुद और लीची	8,17,343	-	-	-	3,618	4,09,195	12,30,156			6,73,437	5,56,719
105	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	चना और अरहर	7,58,324	-	-	-	-	8,31,776	15,90,100			7,85,103	8,04,997
106	एमपीकेवी, राहुरी	ज्वार, बाजरा और चना	14,80,875	-	-	-	-	15,32,955	30,13,830			-	30,13,830
107	आईआईएसआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हेसरगट्टा, बंगलुरु	सब्जियाँ	7,27,719	-	-	-	-	16,72,281	24,00,000			23,72,947	27,053
108	यूएस (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), धारवाड	कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ड्यूरम गेहूं और तिल	19,09,043	7,87,202	3,36,146	-	-	11,18,870	19,04,565			6,96,695	12,07,870
109	आईआईएसआर (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	3,69,641	-	-	-	-	6,50,359	10,20,000			9,51,682	68,318
110	आईआईआरआर, हैदराबाद, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	चावल	27,26,105	-	-	-	-	11,08,139	38,34,244			-	38,34,244
111	आईआईएमआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	मक्का	34,27,790	-	-	-	-	8,32,803	42,60,593			-	42,60,593
112	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	11,64,696	-	-	-11,64,696	-	-	-			-	-
113	सीआईसीआर (केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	कपास	17,32,390	-	17,31,801	11,64,696	-	13,81,162	25,46,447			-	25,46,447
114	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी आदि	1,647	-	-	-	-	54,41,551	54,43,198			24,39,162	30,04,036
115	एनआरसीसी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	सिट्रस, खट्टा, मौसमी और मेंडारिन	-	-	-	-	-	7,55,894	7,55,894			4,39,803	3,16,091

अनुबंध-ख

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2020-21 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
116	आईआईएचआर, बंगलुरु (गुलदाउदी)	गुलदाउदी	12,19,364	-	5,37,653		-	8,47,653	15,29,364			3,57,598	11,71,766
117	आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	8,78,807	4,91,729	-		-	9,27,472	13,14,550			7,26,136	5,88,414
118	आईआईवीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), वाराणसी	परवल	4,25,000.00	-	2,72,417		-	7,42,417	8,95,000			3,27,908	5,67,092
119	आईआईएचआर, बंगलुरु (क्रॉसपट्टा)	क्रॉसपट्टा	1,66,218	-	-		-	5,16,830	6,83,048			-	6,83,048
120	अंगारु, गुंटूर	मेस्ता और रोजेले	7,50,000	3,23,482	1,38,657		-	3,37,619	6,25,480			-	6,25,480
121	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च और पैपरिका	12,00,000	-	6,68,350		-	6,88,950	12,20,600			-	12,20,600
122	डॉ.वाई.एस.एस. बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	क्रॉसपट्टा	4,25,000	-	-		-	-	4,25,000			-	4,25,000
123	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	2,78,339	-	-		-	6,21,661	9,00,000			-	9,00,000
124	यूएचएस, बागलकोट	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	2,14,490	-	-		-	8,93,310	11,07,800			5,93,370	5,14,430
125	एसडीएयू, एसके नगर, गुजरात	दाना चौलाई	6,45,000	-	1,24,431		-	3,84,431	9,05,000			-	9,05,000
126	पीडीकेवी (पंजाब राय देशमुख कृषि विश्वविद्यालय), अकोला सहयोग केंद्र	मूंग	8,00,000	-	-		-	5,00,000	13,00,000			-	13,00,000
127	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	कुट्टु	6,45,000	-	-		-	4,13,999	10,58,999			-	10,58,999
128	सीएसएयूए एवं टी (चन्द्र शेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	अलसी	7,00,000	-	1,72,583		-	4,06,023	9,33,440			-	9,33,440
129	सीआईएएच बीकानेर	तरबूजा और खरबूजा	5,37,086	-	-		-	-	5,37,086			-	5,37,086
130	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	बाकला						6,45,000	6,45,000				6,45,000
131	एनबीपीजीआर, मा.क.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	बाकला						3,10,000	3,10,000				3,10,000
132	एनआरसी (राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), मा. क.अ.प.-यूनिट, सिक्किम	ऑर्किड						3,00,000	3,00,000				3,00,000
133	आईसीएआर-अनुसंधान निदेशालय पुनूर	काजू						-	-				-
134	आईसीएआर-एआईसीआरपी जोधपुर	बाजरा						5,00,000	5,00,000				5,00,000
135	सीटीसीआरआई त्रिवेन्द्रम	जिमीकंद						-	-				-
136	आईआईएचआर, बंगलुरु	भिण्डी, बैंगन और टमाटर						8,00,000	8,00,000				8,00,000
137	आईसीएआर-यूनिट-एनआरसी (पुणे)	अंगूर						-	-				-
138	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	अरहर						5,00,000	5,00,000				5,00,000
कुल			9,01,58,378	67,22,883	1,92,48,609	5,15,851	69,433	8,49,25,974	14,96,98,145		67,065	3,42,59,938	11,53,71,142

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डॉ. के. अग्रवाल

डॉ. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
1	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	पपीता और शरीफा	8,49,608	-	3,31,642	-	-	5,71,642	10,89,608		-	7,67,748	3,21,860
2	पीएयू (कृषक जागरूकता)	गिनी घास	7,350	-	-	-	-	-	7,350		-	-	7,350
3	एचएफआरआई, शिमला	शंकु वृक्ष	28,563	-	-	-	-	-	28,563		-	-	28,563
4	जेएनकेवीवी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	लघु मोटे अनाज	38,399	-	-	-	-	-	38,399		-	-	38,399
5	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्नेशन	6,42,517	-	-	-	-	1,50,000	7,92,517		-	-	7,92,517
6	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	चाइना ऐस्टर	6,27,666	-	4,16,013	-	-	7,56,013	9,67,666		-	-	9,67,666
7	मोविद बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	जई और लोबिया	80,476	-	-	-	-	-	80,476		-	-	80,476
8	आईजीएफआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, झांसी	जई, गिनी घास	1,33,240	-	-	-	-	-	1,33,240		-	-	1,33,240
9	टीएनएयू, कोयम्बतूर	पपीता और शरीफा	4,69,836	-	55,376	-	6,956	1,82,576	6,03,992		-	2,32,415	3,71,577
10	यूएचएस, बागलकोट	मोरिंगा ओलिवेरा लैम	3,09,723	-	-	-	-	2,65,277	5,75,000		-	4,19,188	1,55,812
11	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	टैक्टोनिया ग्रैडिस	7,58,836	-	-	-	-	7,66,450	15,25,286		-	-	15,25,286
12	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	आंवला	2,42,718	-	-	-	-	2,27,282	4,70,000		-	-	4,70,000
13	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	चिरौजी और इमली	8,95,000	-	1,71,988	-	-	-	7,23,012		-	-	7,23,012
14	सीआईएसएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	बेल	32,525	-	-	-	-	8,53,275	8,85,800		-	6,97,928	1,87,872
15	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	बेल	5,95,267	-	1,29,509	-	-	3,29,509	7,95,267		-	-	7,95,267
16	एनआरसी, पुनूर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, काजू	काजू	2,63,608	-	-	-	-	4,01,392	6,65,000		-	5,69,879	95,121
17	टीएनएयू, कोयम्बतूर	नीम, करंज और रतनजोत	8,50,668	-	4,27,845	-	-	5,67,845	9,90,668		-	4,75,208	5,15,460
18	एसडीएयू, एसके नगर, मुंद्रा, गुजरात	खजूर	4,00,000	-	-	-	-	-	4,00,000		-	-	4,00,000
19	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सैलक्स जाति)	6,10,000	-	-	-	13,325	2,86,151	9,09,476		-	3,49,734	5,59,742
20	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	गेंदा	6,49,228	-	-	-	-	4,66,156	11,15,384		-	6,82,448	4,32,936

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
21	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई	कोको	34,652	-	-	-	-	7,26,348	7,61,000		-	-	7,61,000
22	एनआरसीएसएस, अजमेर	अजवाइन, दिल, नाइजेला, अजमोद और एनीसे	8,00,000	-	7,62,622	-	-	6,57,622	6,95,000		-	90,653	6,04,347
23	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं बानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	लिलियम जाति, ओरियंटल, एसियाटिक, एलए और ओटी शंकर	5,03,086	-	1,80,000	-	4,499	1,00,000	4,27,585		-	-	4,27,585
24	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	एलिथस	51,078	-	-	-	-	-	51,078		-	-	51,078
25	आईएफजीटीबी, कोयम्बतूर	रेड सेंडल और भारतीय चंदन	51,533	-	-	-	-	-	51,533		-	-	51,533
26	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	जरबेश	3,25,000	-	-	-	-	6,40,000	9,65,000		-	-	9,65,000
27	सीटीआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, राजामंदरी	फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया और बीडी	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	-	9,00,000
28	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कॉफी	11,260	-	-	-	-	8,70,000	8,81,260		-	-	8,81,260
29	यूएस, धारवाड़	लोबिया	6,04,287	-	-	-	-	3,00,000	9,04,287		-	80,023	8,24,264
30	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी	7,00,000	-	-	-	-	4,21,723	11,21,723		-	-	11,21,723
31	सीआईएएच, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खजूर	5,95,000	-	7,24,186	-	-	5,69,239	4,40,053		-	-	4,40,053
32	सीआईएएच (केन्द्रीय शुक्र बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	जामुन	4,75,364	-	1,63,260	-	-	1,88,260	5,00,364		-	-	5,00,364
33	एनआईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	अरबी	4,93,446	-	-	-	-	-	4,93,446		-	-	4,93,446
34	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं बानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथोर्म	5,95,000	-	5,00,017	-	9,758	6,81,246	7,85,987		-	5,97,943	1,88,044
35	सीआईएएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	आवला	5,55,456	-	-	-	-	4,24,478	9,79,934		-	5,59,947	4,19,987
36	सीआईएएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	जामुन	3,26,310	-	-	-	3,762	5,00,156	8,30,228		-	4,99,388	3,30,840
37	सीएआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द,लोबिया, अरहर	6,18,535	-	-	-	-	-	6,18,535		-	-	6,18,535
38	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल	2,22,393	-	-	-	-	5,98,007	8,20,400		-	4,96,455	3,23,945
39	यूएस, धारवाड़	कुलथी, मोध, ग्वार और चटरी	4,49,000	-	-	-	-	-	4,49,000		-	-	4,49,000
40	आईएआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	मूली और गाजर	13,642	-	-	-	-	6,81,387	6,95,029		-	-	6,95,029

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रह किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
41	आईएआरआई, फल एवं बागवानी संभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	नींबू और प्यूमेलो	3,50,000	-	-	-	-	-	3,50,000		-	-	3,50,000
42	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	-	2,16,830	-	-	-	-	-	2,16,830		-	-	2,16,830
43	एनईएच क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, उमियम	कटहल	3,28,684	-	3,28,684	-	-	-	-		-	-	-
44	एसएसएसआरडी, नागालैंड विश्वविद्यालय	चाउचाउ	2,05,000	-	-	-	-	-	2,05,000		-	-	2,05,000
45	यूएस, जीकेबीके, बंगलुरु	कटहल	8,82,440	-	7,41,535	-	-	9,49,015	10,89,920		-	-	10,89,920
46	आईआईएचआई, नई दिल्ली (ब्रोकोली)	ब्रोकोली	1,90,237	-	-	-	-	-	1,90,237		-	-	1,90,237
47	बीएसकेकेबी, दापोली	कोकम	1,37,972	-	-	-	-	-	1,37,972		-	-	1,37,972
48	यूएस, धारवाड़	जननद्रव्य, रोजेले ऑफ मेस्ता	2,23,592	-	-	-	-	-	2,23,592		-	-	2,23,592
49	एनईआईएसटी, जोरहाट	नींबू घास	1,00,000	-	-	-	-	-	1,00,000		-	-	1,00,000
50	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्लू घाटी	मूली और गाजर	55	-	-	-	-	6,44,945	6,45,000		-	-	6,45,000
51	भा.कृ.अ.प.- एनईएच, क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम, मेघालय	नींबू और प्यूमेलो	1,03,810	-	-	-	-	-	1,03,810		-	-	1,03,810
52	एसकेएयूएसटी-के, श्रीनगर (केसर)	केसर	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	-	9,00,000
53	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (क्षेत्रीय केन्द्र, सिमौर)	दहेलिया	-	-	-	-	-	2,25,000	2,25,000		-	-	2,25,000
54	यूएस, धारवाड़	(नए बीज बैंक की स्थापना)	1,24,154	-	-	-	-	-	1,24,154		-	-	1,24,154
55	कृषि महाविद्यालय, विजयपुर, कर्नाटक	(नए बीज बैंक की स्थापना) (रबी, ज्वार, गेहूं और अरहर)	2,46,577	-	-	-	-	-	2,46,577		-	-	2,46,577
56	बीएसकेकेबी, दापोली, महाराष्ट्र	नए बीज बैंक की स्थापना	9,00,000	7,92,071	-	-	-	-	1,07,929		-	-	1,07,929
57	बीएस, सबौर, भागलपुर	नए बीज बैंक की स्थापना (अनाज, दालें और सब्जियां)	2,84,982	-	-	-	-	-	2,84,982		-	-	2,84,982
58	एनडीयूए और टी. कुमारगंज, फैजाबाद	नए बीज बैंक की स्थापना (किसानों के खेत में उगाए गए गौण बीज मसाले)	72,634	-	-	-	15,750	-	88,384		-	-	88,384
59	यूएसएस, शिवमोगा, कर्नाटक	नए बीज बैंक की स्थापना	9,00,000	6,68,244	-	-	-	-	2,31,756		-	-	2,31,756
60	यूएसएस, शिवमोगा	एथूरियम	1,77,728	-	-	-	-	-	1,77,728		-	-	1,77,728

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रह किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
61	आईआईएचआर, बंगलुरु	सेम	3,99,816	-	3,99,816	-	-	-	-		-	-	-
62	एसकेयूएसटी, श्रीनगर	काला जीरा	9,00,000	-	8,99,966	-	20,690	-	20,724		-	-	20,724
63	एचआरसी, त्रिपुरा	केला	4,80,000	-	-	-	-	-	4,80,000		4,80,000	-	-
64	एनईएच क्षेत्र, बड़ापानी, नागालैंड	जीमीकंद और तारो	2,00,000	-	-	-	-	-	2,00,000		-	-	2,00,000
65	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिसकस	9,00,000	-	5,58,720	-	-	-	3,41,280		-	-	3,41,280
66	एसीएचएफ, एनएयू, नवसारी, गुजरात	सफेदा और यूरोफाइला	10,87,682	-	-	-	-	-	10,87,682		-	5,81,250	5,06,432
67	डीएफआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, पुणे	गुलाब	1,69,684	-	-	-	-	8,63,328	10,33,012		-	6,84,663	3,48,349
68	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	मेस्ता और रोजेले	8,00,000	75,725	6,79,390	-	-	7,27,555	7,72,440		-	-	7,72,440
69	आईआईएचआर, बंगलुरु	चीकू	9,00,000	-	7,39,907	-	-	7,48,277	9,08,370		-	-	9,08,370
70	आईआईओआर, हैदराबाद	रामतिल	35,115	-	-	-	-	8,64,885	9,00,000		-	7,43,698	1,56,302
71	टीएमएयू, कोयम्बतूर	उड़द	7,32,800	-	3,71,144	-	-	6,71,144	10,32,800		-	-	10,32,800
72	आईआरआई, नई दिल्ली (चिकनी तोरी)	चिकनी तोरी	1,84,251	-	-	-	-	7,97,887	9,82,138		-	-	9,82,138
73	आईआईवीआर, वाराणसी	चिकनी तोरी	3,39,643	-	-	-	-	5,90,357	9,30,000		-	-	9,30,000
74	एनएयू (नवसारी कृषि विश्वविद्यालय), गुजरात	चीकू	5,93,227	-	-	-	-	3,06,773	9,00,000		-	5,29,130	3,70,870
75	एसकेयूएसटी, कश्मीर	गांठ-गोमी	2,30,645	-	-	-	-	6,69,355	9,00,000		-	-	9,00,000
76	सीआईटीएच, श्रीनगर	सब्जी केली	3,37,274	-	-	-	-	5,62,726	9,00,000		-	-	9,00,000
77	यूएस - जीकेवीके, बंगलुरु	ब्राउन टॉक मिलेट	64,807	-	-	-	-	8,35,193	9,00,000		-	-	9,00,000
78	आईआरआई, नई दिल्ली	सलाद	6,16,658	-	-	-	-	-	6,16,658		-	5,06,448	1,10,210
79	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000	-	-	-	-	-	6,45,000		-	-	6,45,000
80	एनबीपीजीआर, भवाली	दाना चौलाई और कुटु	6,45,000	-	-	-	-	-	6,45,000		6,45,000	-	-
81	सीआईएमपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	अश्वगंधा	12,90,637	3,90,637	8,61,353	-	4,372	8,61,353	9,04,372		-	6,98,863	2,05,509
82	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	प्याज	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	6,50,025	2,49,975
83	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	राजमा	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	6,52,721	2,47,279
84	एसकेयूएसटी, कश्मीर श्रीनगर	शलजम	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	-	9,00,000
85	आईआईएचआर, बंगलुरु	गाजर	1,21,581	-	-	-	-	-	1,21,581		-	1,17,251	4,330
86	आईआईएचआर, बंगलुरु	करी पत्ते	9,00,000	-	2,85,358	-	-	4,35,358	10,50,000		-	-	10,50,000

अनुबंध-ग

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 में उपलब्ध कुल निधि	रद्द किए गए चेक (2022-23)	वापसी 2022-23	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
87	राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर	अमरुद और लीची	-	-	-	-	-	7,80,000	7,80,000		-	-	7,80,000
88	यूएस, जीकेवीके, बंगलुरु	मिर्च, पैपरिका और शिमला मिर्च	9,00,000	-	-	-	-	-	9,00,000		-	-	9,00,000
89	एसकेयूएसटी, कश्मीर	नरगिस						9,00,000	9,00,000				9,00,000
90	सीआईटीएच, श्रीनगर	पर्ण						9,00,000	9,00,000				9,00,000
91	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	ड्रैगन फल						9,00,000	9,00,000			6,250	8,93,750
92	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	एवोकैडो						9,00,000	9,00,000			15,000	8,85,000
93	आईआईवीआर, वाराणसी	मखमली बीन				3,00,000			3,00,000				3,00,000
कुल			3,93,28,785	19,26,677	97,28,331	3,00,000	79,112	2,83,15,185	5,63,68,074		11,25,000	1,17,04,256	4,35,38,818

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डि. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-घ

संदर्भित प्रयोगशालाओं के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2022 को आरंभिक शेष	पूर्व किया गया व्यय 2021-22	2021-22 से संबंधित व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
1.	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	-			-	-	49,714
	कुल	49,714	-	-		-	-	-	49,714

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-ड.

फील्ड जीन बैंक के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
1	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	39,803	-	-	-	8,00,000	8,39,803	-	-	8,39,803
2	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	17,45,808	-	14,04,031	-	12,49,665	15,91,442	-	-	15,91,442
3	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	9,95,881	-	-	-	9,60,964	19,56,845	-	-	19,56,845
कुल		27,81,492	-	14,04,031	-	30,10,629	43,88,090	-	-	43,88,090

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
1	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु, रेडडीपल्ली, खम्मम, गैरिकापाडु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, वारंगल	8,00,000	-	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
2	अपर निदेशक—एफसी, कृषि विभाग, सिक्किम 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद (136/15)	2,41,819	-	-	-	-	2,41,819	-	-	2,41,819
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	2,05,000	-	80,000	-	-	1,25,000	-	-	1,25,000
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (136/15)(बीएचयू),मिर्जापुर	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
6	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (बीसीकेवी)	1,270	-	-	-	-	1,270	-	-	1,270
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएयू)	99,417	-	-	-	-	99,417	-	-	99,417
8	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (सीएआरआई)	1,85,192	-	-	-	-	1,85,192	-	-	1,85,192
9	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर (सीएयू)	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
10	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल 136/15	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
11	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर (सीआईसीआर)	39,600	-	-	-	-	39,600	-	-	39,600
12	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (सीआईसीआर)	1,79,000	-	-	-	-	1,79,000	-	-	1,79,000
13	सीईओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
14	बीएसकेकेवी दापोली (136/15)	34,142	-	-	88,799	-	1,22,941	-	-	1,22,941
15	चौधरी एसएसके विश्वविद्यालय, पालमपुर 136/15 (कुल्लू, कांगड़ा, सिमौर, बिलासपुर)	2,05,073	-	-	-	-	2,05,073	-	-	2,05,073
16	गुजरात विद्यापीठ,अहमदाबाद 136/15	1,14,701	-	-	-	-	1,14,701	-	-	1,14,701
17	आरएयू, बीकानेर 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
18	एसकेयूएसटी, राजौरी, जम्मू	2,79,976	-	-	-	-	2,79,976	-	-	2,79,976
19	वीएनकएमकेवी, महाराष्ट्र	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
20	सीकेवी, छत्तीसगढ़ 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
21	आईजेकेवीवी, रायपुर 136/15	2,98,940	-	-	-	-	2,98,940	-	-	2,98,940
22	जेएनकेवीवी, जबलपुर, 136/15	1,80,875	-	-	-	2,50,000	4,30,875	-	2,50,000	1,80,875
23	केवीए एवं एफएसयू, बिदर	80,746	-	-	-	-	80,746	-	-	80,746
24	एमपीयूए एवं टी, उदयपुर	2,23,153	-	-	-	-	2,23,153	-	-	2,23,153
25	एसवीपीयूए एवं टी, मेरठ	5,14,653	-	-	-	-	5,14,653	-	-	5,14,653
26	एसडीएयू, गुजरात, 136/15	54	-	-	-	-	54	-	-	54

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
27	शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,66,421	-	-	-	-	12,66,421	-	-	12,66,421
28	यूएसएस, रांथली	7,20,590	-	-	-	5,00,000	12,20,590	-	5,00,000	7,20,590
29	वीबीयू, पश्चिम बंगाल, 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
30	एसकेआरएयू, बीकानेर, अलवर	3,26,949	-	-	-	-	3,26,949	-	-	3,26,949
31	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	1,250
32	सीएसएयू एवं टी, कानपुर	3,20,043	-	-	-	-	3,20,043	-	-	3,20,043
33	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मझगवान, सतना	1,02,356	-	-	-	-	1,02,356	-	-	1,02,356
34	कृषि निदेशालय, मेघालय, 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
35	सीपीआरआई, शिमला- मोदीपुरम, शिमला	1,19,093	-	-	-	-	1,19,093	-	-	1,19,093
36	डीएसआर इंदौर - 136/15	16,423	-	-	-	-	16,423	-	-	16,423
37	राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
38	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची - 136/14	80,000	-	-	-	2,00,000	2,80,000	-	2,00,000	80,000
39	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र - 136/15	13,076	-	-	-	-	13,076	-	-	13,076
40	वीपीकेएस अल्मोड़ा	1,16,069	-	-	-	-	1,16,069	-	-	1,16,069
41	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	1,80,000	-	-	-	-	1,80,000	-	-	1,80,000
42	काजरी, जोधपुर	1,85,961	-	-	-	-	1,85,961	-	-	1,85,961
43	सीआईएच, बीकानेर, पंचमहल	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-
44	सीआईएसएच, लखनऊ	4,78,716	-	-	-	-	4,78,716	-	-	4,78,716
45	सीआईटीएच, श्रीनगर	3,20,000	-	-	-	2,00,000	5,20,000	-	91,912	4,28,088
46	सीएमएफआरआई, कोच्चि, केरल	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-
47	सीटीसीआरआई त्रिवेन्द्रम	4,00,000	-	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
48	कृषि विभाग, मिजोरम - 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
49	कृषि निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
50	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	8,00,000	-	-	-	-	8,00,000	-	-	8,00,000
51	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
52	आईआईवीआर, वाराणसी	11,40,000	10,16,834	-	-	-	1,23,166	-	-	1,23,166
53	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली - 136/15	8,00,032	6,53,833	-	-	-	1,46,199	-	-	1,46,199
54	सीपीसीआरआई, कैसरगोड - 136/15	80,000	-	-	-	80,000	1,60,000	-	80,000	80,000
55	कृषि निदेशालय, गोवा - 136/15	12,689	-	-	-	-	12,689	-	-	12,689
56	आईसीएआर, आरसी, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	63,383	-	-	-	-	63,383	-	-	63,383
57	आईआईएबी, रांची - 136/15	878	-	-	-	-	878	-	-	878
58	आईआईएसआर, कालीकट - 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
59	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेडजीफेमा	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
60	आईएआरआई, नई दिल्ली	1,50,039	-	-	-	-	1,50,039	-	-	1,50,039
61	मृगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985	-	-	-	-	5,985	-	-	5,985
62	औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात	52,069	-	-	-	-	52,069	-	-	52,069
63	एफआरआई, देहरादून 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
64	गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर, देहरादून	4,33,343	-	-	-	-	4,33,343	-	-	4,33,343
65	आईसीएआर अनुसंधान, पटना 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
66	आईजीएफआरआई, झांसी 136/15	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
67	आईआईएचआर बंगलुरु — प्रशिक्षण	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
68	आईआईएचआर बंगलुरु — सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532	-	-	-	-	1,56,532	-	-	1,56,532
69	आईआईएसआर, कालीकट — 136/15	95,373	-	-	-	-	95,373	-	-	95,373
70	आईआईवीआर, वाराणसी	2,246	-	-	-	-	2,246	-	-	2,246
71	जेएयू, जूनागढ़ 136/15	4,10,830	-	-	-	-	4,10,830	-	-	4,10,830
72	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, त्रिपुरा	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
73	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर — केएयू, वैल्लानिकारा, पालघाट	1,05,900	-	-	-	-	1,05,900	-	-	1,05,900
74	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय — एमएयू	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000
75	एमपीकेवी, राहुरी	82,471	-	-	-	-	82,471	-	-	82,471
76	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, 136/15	6,02,895	-	-	-	-	6,02,895	-	-	6,02,895
77	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिविकम	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
78	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 136/15- ओयूएटी	1,15,942	-	-	-	-	1,15,942	-	-	1,15,942
79	पीएयू, लुधियाना	16	-	-	-	-	16	-	-	16
80	पीडीकेवी, अकोला	4,36,000	-	-	-	-	4,36,000	-	-	4,36,000
81	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग निदेशालय, लादोंग	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
82	केवीके, शारदानगर बारामती 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
83	केवीके, जालना, 136/15	1,054	-	-	-	-	1,054	-	-	1,054
84	केवीके, धलाई — 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
85	केवीके, इरोड, टीएन 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
86	केवीके, कुरनूल 136/15	79,576	-	-	-	-	79,576	-	-	79,576
87	केवीके, विवेकनंदपुरम 136/15	1,422	-	-	-	-	1,422	-	-	1,422

अनुबंध-च

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व क्रिया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
88	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
89	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	78,359	-	-	-	-	78,359	-	-	78,359
90	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	5,27,000	-	-	-	-	5,27,000	-	-	5,27,000
91	आबीएसकेवीवी, ग्वालियर, 136/15	76,271	-	-	-	-	76,271	-	-	76,271
92	आरएयू, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	4,15,340	-	-	-	-	4,15,340	-	-	4,15,340
93	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड 136/15	182	-	-	-	-	182	-	-	182
94	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर-टीएनएयू, पेच्चीपै, कन्याकुमारी, धर्माउरी	2,41,562	-	-	-	-	2,41,562	-	-	2,41,562
95	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद - टीएनएयू	1,606	-	-	-	-	1,606	-	-	1,606
96	यूए और एचएस, शिमोगा, कर्नाटक 136/15	10,15,623	-	-	-	-	10,15,623	-	-	10,15,623
97	यूएएस, बागलकोट 136/15	13,431	-	-	-	-	13,431	-	-	13,431
98	यूएएस, जीवीकेवी, बंगलुरु	1,59,706	-	-	-	-	1,59,706	-	-	1,59,706
99	यूबीकेवी, कृष् बिहार, पश्चिम बंगाल 136/15	4,80,000	-	-	-	-	4,80,000	-	-	4,80,000
100	यूएएस, धारवाड़ - सैदपुर फार्म, बीजापुर	4,82,846	-	-	-	-	4,82,846	-	-	4,82,846
101	यूएच और एफ पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 136/15	1,17,112	-	-	-	-	1,17,112	-	-	1,17,112
102	डबल्यूबीयूए और एफएस, कोलकाता 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
103	वाईएसपीयूएच और एफ, सोलन, चम्बा	4,93,838	-	-	-	-	4,93,838	-	-	4,93,838
104	वाईएसआर, बागवानी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, 136/15	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
105	आंचलिक परियोजना निदेशालय - अंचल-11, बंगलुरु	1,490	-	-	-	-	1,490	-	-	1,490
106	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. अंचल-1, लुधियाना, पंजाब	3,90,588	-	-	-	-	3,90,588	3,90,588	-	-
107	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-5, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
108	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-3, कानपुर, उत्तर प्रदेश	23,414	-	-	-	-	23,414	-	-	23,414
109	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-2, जोधपुर	7,14,131	-	-	-	-	7,14,131	2,35,516	-	4,78,615
110	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-9, जबलपुर	5,83,502	-	-	-	-	5,83,502	-	-	5,83,502
111	निदेशालय-कृषि, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेंग, लोअर सुबांसिरी, गेकू - कोरक, अपर सुबांसिरी	4,80,000	80,000	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
112	केवीके, पापुमपेरे	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
113	एनआरसी — सूअर, रानी, गुवाहाटी — केवीके, गोलपाड़ा	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
114	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा, ल्युसांग	5,60,000	-	-	-	-	5,60,000	-	-	5,60,000
115	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, मेघालय सरकार, शिलोंग	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
116	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, सिक्किम सरकार, ग्याबा	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
117	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
118	आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
119	सीटीआरआई, आंध्र प्रदेश	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
120	सर अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गद्दीपल्ली, नलगोडा, एसएआईआरडी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
121	प्रवर प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान में अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अहमदनगर— पीआईआरआईएनएसएस	142	-	-	-	-	142	-	-	142
122	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली — बीद	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-
123	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जमोद, बुल्डाना	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
124	संत नामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
125	कृषि विज्ञान केन्द्र, लातूर — केवीकेएल	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
126	डॉ. हेडगवार सेवा समिति, नंदरबार	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
127	शबरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
128	निर्यंत्रक, एनएयू, गुजरात — केवीके, नवसारी, नर्मदा	3,04,474	-	-	-	-	3,04,474	-	-	3,04,474
129	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी— स्योर, बाडमेर	21,447	-	-	-	-	21,447	-	-	21,447
130	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	32,220	-	-	-	-	32,220	-	-	32,220
131	अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडिनार	32,950	-	-	-	-	32,950	-	-	32,950
132	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण केन्द्र, भोपाल — सिंहोर	500	-	-	-	-	500	-	-	500
133	अध्यक्ष, केएच पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, गदग, हुल्कोटी	38	-	-	-	-	38	-	-	38
134	अध्यक्ष, कृषिचयन एजेंसी फॉर रूरल पेटेनामित्र डेवलपमेंट, तिरुवला — कोल्लम्मागोम, सीएएफआरपीडी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लामार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
135	गुजरात विद्यापीठ,अहमदाबाद 136/15 — एएमबीएचईटीआई	3,475	-	-	-	-	3,475	-	-	3,475
136	महाठवाड़ा क्षेति सहाय मंडल, औरंगाबाद, जालना	1,58,946	-	-	-	-	1,58,946	-	-	1,58,946
137	सचिव, श्री अविनाशीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बतूर, विवेकानंदपुरम, एसएआईएचईएचसी	78,578	-	-	-	-	78,578	-	-	78,578
138	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी, दक्षिण गोवा	43,270	-	-	-	-	43,270	-	-	43,270
139	कृषि निदेशालय, पुदुचेरी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
140	महासचिव, यूपीएसआई, कन्नूर, नीलगिरी	3,452	-	-	-	-	3,452	-	-	3,452
141	केएसआर तकनीकी महाविद्यालय, तिरुवैगोडे, तमिल नाडु	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
142	एमेटी विश्वविद्यालय, नोएडा	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
143	यूएस, बंगलुरु	4,30,000	-	-	-	-	4,30,000	-	-	4,30,000
144	निदेशक, बायोवेद कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
145	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान संस्था	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
146	एनबीआरआई, लखनऊ	63,795	-	-	-	-	63,795	-	-	63,795
147	भगवत भक्ति आश्रम	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
148	एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, नया मधुबनी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
149	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची	18,194	-	-	-	-	18,194	-	-	18,194
150	उप आयुक्त एवं अध्यक्ष, सुजानी	1,240	-	-	-	-	1,240	-	-	1,240
151	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम त्रिपुरा	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
152	इलाहाबाद कृषि मानद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
153	केआरबीएस शिक्षा सोसायटी, लखनऊ	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
154	श्री हनुमंतराय शिक्षा एवं धर्मार्थ सोसायटी, केवीके, कुरनूर	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
155	डॉ. युशु, वेंकटरामनगुडे	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
156	नियंत्रक, टी एस कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
157	गोखले एजुकेशन सोसायटी, प्राचार्य, टी ए कुलकर्णी, विद्यानगर, नासिक	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
158	अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन, वाशिम	50	-	-	-	-	50	-	-	50
159	एसके एनएयू, जोबनेर	1,71,560	-	-	-	-	1,71,560	-	-	1,71,560
160	कृषि विश्वविद्यालय, मंदौर, जोधपुर	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000

अनुबंध-च

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

राशि रुपये में

क्र.सं.	लभार्थी का नाम	01-04-2022 को आदि शेष	2021-22 के पूर्व किया गया व्यय	2021-22 को व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंतिम शेष
161	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	88,303	-	-	-	-	88,303	-	-	88,303
162	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
163	कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमाही	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
164	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प.-केवीके, पाठनमित्र	79,858	-	-	-	-	79,858	-	-	79,858
165	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
166	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
167	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
168	सचिव, इंडियन एशोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
169	सोसायटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सरस्टेनेबल डेवलपमेंट	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
170	आईएसपीआरडी-पीयूएलएसवाईएम, कानपुर	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
171	आईएसडब्ल्यूसी, देहरादून	3,20,000	-	-	-	-	3,20,000	-	-	3,20,000
172	पीजेटीएसएयू हैदराबाद	48,224	-	-	-	-	48,224	-	-	48,224
173	शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	2,00,000	-	-	-	-	2,00,000	-	-	2,00,000
174	आंचलिक परियोजना, निदेशक, भा.कृ.अ.प., अंचल-4, पटना, बिहार	4,22,068	-	-	-	-	4,22,068	-	-	4,22,068
175	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, इम्फाल चैप्टर	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
176	उत्तर प्रदेश अनुसंधान एसोसिएशन, इलाहाबाद	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
177	आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
178	कार्यक्रम समन्वयक केवीके देवमाली	-	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
179	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय	-	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
	कुल	2,98,78,018	20,70,667	80,000	88,799	14,70,000	2,92,86,150	6,26,104	13,61,912	2,72,98,134

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डॉ. के. अग्रवाल

डॉ. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध छ

बाह्य विभाग को अग्रिम

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2022 को आरंभिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान जारी	2022-23 के दौरान व्यय	31-03-2023 को अंत शेष
1	एमएसएसआरएफ, चेन्नई	-	5,00,000	5,00,000	-
2	यूएचएस शिवमोगा	55,74,520	19,42,000	52,15,724	23,00,796
3	XV जेनेटिक्स कांग्रेस ट्रस्ट	-	5,00,000	5,00,000	-
4	निदेशक आईएआरआई, नई दिल्ली	-	80,000	-	80,000
5	सिलिकॉन कॉमनेट प्राइवेट लिमिटेड	-	5,354	-	5,354
6	आविष्कार प्रदर्शनी एवं प्रचार	-	2,03,904	2,03,904	-
7	एग्रे विजन फाउंडेशन	-	95,580	95,580	-
8	निदेशक, जीपीओ, नई दिल्ली	-	2,00,000	2,00,000	-
9	इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स	-	5,00,000	5,00,000	-
10	अचीवर्स फाउंडेशन	-	2,07,360	2,07,360	-
11	रेनेसांस ऑफ हिल एग्रीकल्चर	-	1,00,000	1,00,000	-
12	दी पेटेंट एंड ट्रेड मार्कस केसेस, दिल्ली	-	11,500	11,500	-
13	यूएचएस शिवमोगा कृषि मेला	-	3,00,000	3,00,000	-
	कुल	55,74,520	46,45,698	78,34,068	23,86,150

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

अनुबंध-ज

अदा की गई सांविधिक देयताएं

राशि रुपये में

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि
1	सीजीईजीआईएस	3,550	1,775	1,055	720	3,520	325	985	900	985	1,850	265	925	16,855
2	सीजीएचएस	2,000	1,000	1,000	-	2,000	-	1,000	1,000	2,000	2,000	-	3,000	15,000
3	जीपीएफ - 108 / 2	1,50,080	75,040	1,25,040	50,000	1,83,550	1,08,000	1,08,000	40,500	40,500	40,500	40,500	-	9,61,710
4	टीडीएस - ठेकेदार	10,567	1,207	2,990	12,791	4,225	35,820	35,262	76,188	7,86,535	6,582	48,907	76,647	10,97,721
5	टीडीएस - व्यावसायिक	20,56,698	-	28,095	18,000	26,390	30,594	2,08,070	7,01,351	1,09,095	39,155	55,434	75,570	33,48,452
6	टीडीएस - किराया	-	-	-	-	-	-	29,65,818	-	17,36,297	-	-	-	47,02,115
7	टीडीएस - वेतन	3,18,000	3,17,500	3,17,500	4,02,500	5,75,400	4,21,000	3,86,000	4,16,000	4,16,000	3,40,000	4,91,133	2,63,566	46,64,599
8	एनपीएस	2,31,544	1,12,183	1,12,183	-	2,31,098	-	1,15,549	1,73,190	1,18,999	2,37,998	9,384	2,37,998	15,80,126
9	जीएसटी पर टीडीएस	20,89,791	39,424	40,278	-	38,646	56,264	9,75,732	7,81,805	11,64,998	32,096	71,726	7,098	52,97,858
10	नियोक्ता का एनपीएस में अंशदान	3,21,146	1,57,058	1,57,058	-	3,23,540	-	1,61,770	1,37,238	1,66,598	3,33,196	13,138	6,18,793	23,89,535
11	प्रतिलोम शुल्क जीएसटी	-	-	-	8,390	7,974	10,354	7,974	96,138	9,318	8,624	8,548	14,552	1,71,872
								-						
	कुल	51,83,376	7,05,187	7,85,199	4,92,401	13,96,343	6,62,357	49,66,160	24,24,310	45,51,325	10,42,001	7,39,035	12,98,149	2,42,45,843

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

अनुबंध-झ

अन्य भेजा हुआ धन

राशि रुपये में

क.सं.	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि
1	लाइसेंस शुल्क	22,412	19,046	3,366	-	19,046	-	19,046	6,732	34,210	35,678	-	6,068	1,65,604
	कुल	22,412	19,046	3,366	-	19,046	-	19,046	6,732	34,210	35,678	-	6,068	1,65,604

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-अ

स्टाफ को अग्रिम

राशि रुपये में

क.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2022 को आरंभिक शेष	पूर्वावधि समायोजन	वर्ष के दौरान अग्रिम	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	धन वापसी की प्राप्ति	कुल समायोजन	31-03-202 3 को अंतशेष
1	डीडीओ	-	-	3,72,497	-	3,03,938	68,559	3,72,497	-
2	दीपल रॉय चौधरी	1,351	-	89,082	-	70,873	19,560	90,433	-
3	अरविंद कुमार राय	-	2,476	1,09,427	-	1,06,951	-	1,06,951	-
4	डॉ. टी के नागरत्ना	-	-	85,250	-	85,250	-	85,250	-
5	श्याम नारायण प्रसाद	-	-	1,00,000	-	45,590	54,410	1,00,000	-
6	उमा कांत दुबे	-	-	5,54,551	-	2,98,752	2,55,799	5,54,551	-
7	डॉ ए के सिंह	-	-	45,000	-	18,420	26,580	45,000	-
8	धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	-	-	1,54,000	-	1,21,876	32,124	1,54,000	-
9	आर एस सेंगर	-	-	1,88,419	-	1,73,876	14,543	1,88,419	-
10	डी एस राज गणेश	-	-	1,81,808	-	1,49,361	32,447	1,81,808	-
11	संजय कुमार गुप्ता	-	-	25,000	-	17,650	7,350	25,000	-
12	शिप्रा माथुर	-	-	10,965	-		10,965	10,965	-
13	अरुण कुमार	-	-	1,06,000	18,568	1,00,158	24,410	1,24,568	-
14	पवन पाल	-	-	3,47,311	-	3,47,311	-	3,47,311	-
15	नीरेन्द्र कुमार	-	-	14,000	-	14,000	-	14,000	-
16	पवन पांडे	-	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-
	कुल	1,351	2,476	23,89,310	18,568	18,60,006	5,46,747	24,06,753	-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

**सामान्य भविष्य निधि
और
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
खाते**

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

देयताएं	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
सामान्य भविष्य निधि खाता				
प्रारंभिक शेष	50,50,830		32,90,332	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिदान	5,50,000		15,00,000	
जोड़ें :जमा किया गया ब्याज	1,67,133		2,60,498	
घटाए : अग्रिम/निकासी	57,67,963	-	-	50,50,830
एनपीएस टियर- 2		-		-
आधिक्य / (घाटा)				
प्रारंभिक शेष	2,05,454		2,13,877	
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	5,69,912		-	
घटाए : आय पर व्यय की अधिकता	-	7,75,366	8,423	2,05,454
कुल		7,75,366		52,56,284
परिसम्पत्तियां				
निवेश		-		-
सावधि जमा		-		51,78,674
सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज		-		43,528
प्राधिकरण से प्राप्य ब्याज		54,870		33,514
बैंक शेष				
बचत खातों पर		7,20,496		568
कुल		7,75,366		52,56,284
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न हैं				

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
अर्जित ब्याज				
— निवेश पर	-		-	
—सावधि जमा खाते पर	1,10,449		2,03,395	
—बचत खातों पर	13,211		15,238	
—अन्य (प्राधिकरण से)	54,870	1,78,530	33,514	2,52,147
अपलिखित देयता		5,58,846		
कुल (क)		7,37,376		2,52,147
व्यय				
सामान्य भविष्य निधि में जमा ब्याज		1,67,133		2,60,498
एनपीएस टियर- 2 खाता		-		-
बैंक शुल्क		331		72
कुल (ख)		1,67,464		2,60,570
आय में से व्यय घटाने के बाद शेष राशि (क-ख)		5,69,912		(8,423)
तुलन पत्र तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)		5,69,912		(8,423)
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न हैं				

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डि. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में					
प्राप्तियां	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष			जीपीएफ निकासी	52,09,117	-
बैंक शेष			एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-
-बचत खातों में	568	45,612	स्थायी जमा का निर्माण	-	18,09,000
जीपीएफ अंशदान	5,50,000	15,00,000	बैंक शुल्क	331	72
स्थायी जमा का नकदीकरण	52,13,277	-	अंत शेष		
			बैंक शेष		
			-बचत खातों में	7,20,496	568
प्राप्त ब्याज					
-स्थायी जमा पर	1,19,374	8,926			
-बचत खाते पर	13,211	15,238			
-अन्य (प्राधिकरण से)	33,514	2,39,864			
एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-			
कुल	59,29,944	18,09,640	कुल	59,29,944	18,09,640

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023

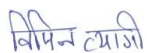
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि और नेशनल पेंशन योजना खातों पर प्रमुख लेखा नीतियाँ लेखों पर टिप्पणियाँ

अ. लेखा नीतियाँ

1. पात्र कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि का रखरखाव सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
2. अभिदाताओं को देय ब्याज दर भारत सरकार के मानदंड के अनुसार है।
3. सामान्य भविष्य निधि के खाते अर्जन आधार पर तैयार किये गये हैं।
4. पात्र कर्मचारियों से भविष्य निधि का अभिदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में वेतन से काटा जाता है।
5. ब्याज में अंतर की राशि प्राधिकरण के द्वारा वहन की जाती है (अर्थात् अभिदाता को देय ब्याज और किए गए निवेश/जमा से प्राप्त राशि)।
6. सहायक रिकॉर्ड अर्थात् अभिदाता का खाता, खाता विवरण आदि का रखरखाव प्रधान कार्यालय में किया जाता है।
7. जीपीएफ संचय से किए गए निवेश को लागत मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।
8. नेशनल पेंशन योजना का अंशदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जाता है और नियोक्ता के हिस्से के साथ नेशनल पेंशन योजना प्राधिकारी के पास जमा करा दिया जाता है।

ब. लेखों पर टिप्पणियाँ

1. जीपीएफ की राशि को बैंक में स्थायी जमा के रूप में रखा जाता है और उसे लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है।
2. भविष्य निधि बैंक खाता केनरा बैंक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स शाखा, नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय में रखा गया है।
3. चूंकि भविष्य निधि खाता और नेशनल पेंशन योजना खाता प्राधिकरण के कोष का हिस्सा नहीं है बल्कि इनका स्वामित्व कोषों के सदस्यों के पास है न की प्राधिकरण के पास, इसलिए इन्हें अलग से दिखाया गया है। भविष्य निधि खातों और नेशनल पेंशन योजना के लिए प्राप्त और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता (अर्जन आधार पर) और वर्ष 2022-23 के लिए तुलन पत्र प्राधिकरण के खातों के साथ संलग्न है।
4. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।
5. लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ खातों का एक अभिन्न अंग हैं।

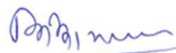


विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

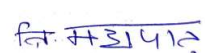
स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 28 जून, 2023



डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) पर 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) के संलग्न तुलन पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में पीपीवीएंडएफआरए की पाँच ईकाई/शाखाओं अर्थात् रांची, गुवाहाटी, पालमपुर, शिवमोगा और पुणे के खाते शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पीपीवी एंड एफआरए के प्रबंध का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियाँ, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ विनिर्दिष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदन/ सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्य: मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएँ और इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें तार्किक आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, रिपोर्ट में अवलोकन के अधीन, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा बताए गए समान प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में पीपीवीएंडएफआर के द्वारा उपयुक्त लेखाबहियाँ और अन्य संबन्धित रिकार्ड रखे गए हैं जो पीपीवीएंडएफआर अधिनियम, 1962 की धारा 62(1) के अनुसार अपेक्षित हैं, जो ऐसी बहियों की हमारी जांच से देखने में आया है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

तुलन पत्र

क. 1. कोष/पूँजी निधि और दायित्व - रुपए 202.85 करोड़

क. 1.1 अनुसूची सात - चालू दायित्व एवं प्रावधान में रुपये 4.56 करोड़ की राशि (रु. 0.03 करोड़ + रु. 0.21 करोड़ + रु. 2.06 करोड़ + रु. 2.26 करोड़ क्रमशः वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए) को पार्टियों से अवर्गीकृत प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। हालाँकि, यह राशि वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान पीपीवीएफआर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पार्टियों द्वारा जमा की गई है। लेकिन, पूरी जानकारी के अभाव में पीपीवीएफआर इस राशि को आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में नहीं दिखा रहा है। इसके परिणामस्वरूप दायित्व को 4.56 करोड़ रुपये अधिक बताया गया और आय को कम बताया गया (पिछले वर्ष 2.30 करोड़ रुपये और चालू वर्ष 2.26 करोड़ रुपये) और परिणामस्वरूप पूँजीगत निधि को रुपये 4.56 करोड़ कम बताया गया।

ख. सामान्य

1. रुपये 8.50 करोड़ की राशि 138 मौजूदा डीयूएस केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि को जारी की गयी है, हालांकि अधिकांश डीयूएस केंद्रों ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। इसके अलावा अधिकांश केंद्रों ने उनके द्वारा प्राप्त ब्याज का उल्लेख नहीं किया और इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है।

यह टिप्पणी पिछले वर्ष 2021-22 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एसएआर में जारी की गई थी और प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग. अनुदान

प्राधिकरण के द्वारा रुपए 44.59 करोड़ (राजस्व अनुदान- रुपए 41.45 करोड़ और पूँजीगत अनुदान - रुपए 3.14 करोड़) का अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और 1 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष रुपए 10.76 करोड़ (राजस्व अनुदान -रुपए 0.18 करोड़ + पूँजीगत अनुदान -रुपए 10.58 करोड़) है था। कुल रुपए 55.35 करोड़ की राशि में से प्राधिकरण ने रुपए 52.78 करोड़ की राशि का प्रयोग किया है (रुपए 39.02 करोड़ राजस्व व्यय + रुपए 13.76 करोड़* - पूँजीगत व्यय)। इस प्रकार कुल 55.35 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध रुपए 52.78 करोड़ का कुल व्यय हुआ है, शेष अप्रयुक्त अनुदान रुपए 2.57 करोड़ (राजस्व अनुदान) है।

*रुपए 3.14 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त पूँजीगत अनुदान) + 10.58 करोड़ (विगत वर्ष की अप्रयुक्त राशि) और रुपए 0.04 करोड़ (कार्यालय उपकरण और कंप्यूटर)

घ. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गयी कमियाँ अध्यक्ष के ध्यान में अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी कर दी गयी है ।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यक्षीय हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार हैं ।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीय लेखांकन नीतियाँ और लेखा-टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं ।

क. जहां तक 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबंधित है ; और

ख. जहां तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो ।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए और कि ओर से

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 13.10.2023

(गुरवीन सिद्धू)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है और वर्ष 2022-23 की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फ़र्म के द्वारा की गयी है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ।

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है । लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है ।

(ii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् डीयूएस केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 19.06 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2023 को उपयोगिता प्रमाण पत्र अदत्त है ।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022-23 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई अनियमितता सूचित नहीं की गयी है । इसके अलावा, प्लांट अथॉरिटी भवन का निर्माण अभी भी प्रगति पर है ।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2023 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और उपभोग्य सामाग्री इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है ।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमिता

यथा 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार छह माह से ऊपर का कोई भुगतान वैधानिक देयताओं के संबंध में शेष नहीं है ।

वर्ष 2022-23 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर

लेखापरीक्षा का अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
तुलन पत्र क. 1. कोष/पूंजी निधि और दायित्व - रुपए 202.85 करोड़ क. 1.1 अनुसूची सात - चालू दायित्व एवं प्रावधान में रुपये 4.56 करोड़ की राशि (रु. 0.03 करोड़ + रु. 0.21 करोड़ + रु. 2.06 करोड़ + रु. 2.26 करोड़ क्रमशः वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए) को पार्टियों से अवर्गीकृत प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। हालाँकि, यह राशि वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान पीपीवीएफआरए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पार्टियों द्वारा जमा की गई है। लेकिन, पूरी जानकारी के अभाव में पीपीवीएफआरए इस राशि को आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में नहीं दिखा रहा है। इसके परिणामस्वरूप दायित्व को 4.56 करोड़ रुपये अधिक बताया गया और आय को कम बताया गया (पिछले वर्ष 2.30 करोड़ रुपये और चालू वर्ष 2.26 करोड़ रुपये) और परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को रुपये 4.56 करोड़ कम बताया गया।	वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान रुपए 4.56 करोड़ की राशि पार्टियों से प्राप्त हुई थी लेकिन इन्हें पार्टियों से जानकारी प्राप्त होने के चलते आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। पार्टियों के द्वारा एकमुश्त राशि विभिन्न फसलों के लिए जमा कराई जाती है तथा अपेक्षित जानकारी के अभाव में यह संभव नहीं है की आय को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जा सके। संबन्धित विभागों को पार्टियों के साथ इस विषय में बात करने के लिए कहा गया है ताकि सूचना को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। अवर्गीकृत प्राप्तियों की राशि जैसा की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है, को वर्ष 2023-24 में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके आय में रूप में दिखाया जाएगा।
सामान्य 1. रुपये 8.50 करोड़ की राशि 138 मौजूदा डीयूएस केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि को जारी की गयी है, हालांकि अधिकांश डीयूएस केंद्रों ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। इसके अलावा अधिकांश केंद्रों ने उनके द्वारा प्राप्त ब्याज का उल्लेख नहीं किया और इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है। यह टिप्पणी पिछले वर्ष 2021-22 के लिए	1. रुपए 8.50 करोड़ की राशि वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को 2022-23 के दौरान जारी की गयी है। जैसा की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है की अधिकतर डीयूएस केन्द्रों के द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया है। इस विषय में यह प्रस्तुत किया जाता है की हमारे द्वारा अधिकतर डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण पत्र खातों को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राप्त कर लिए गए थे। लेकिन कुछ मामलों में उपयोग प्रमाण पत्र वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुए थे जिनके लिए लेखा पुस्तकों

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एसएआर में जारी की गई थी और प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	मे प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीयूएस केंद्रों को राशि पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर ही जारी की जाती है। जहां तक उपयोग प्रमाण पत्र में ब्याज को शामिल करने का प्रश्न है, हमने इस विषय में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान डीयूएस केंद्रों को उपयोग प्रमाण पत्र में ब्याज को दर्शाने के लिए निर्देश जारी किए हैं और अंकेक्षण के दौरान केंद्रों के साथ किए गए पत्राचार को अंकेक्षण टीम को दिखाया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग प्रमाण पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर डीयूएस केंद्रों से प्राप्त ब्याज के रूप में रुपए 1.33 लाख रुपये की राशि खाता पुस्तकों में दिखाई गयी है। कुछ मामलों में, केंद्रों के पास चालू खाता है जिसमें उनके द्वारा कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाता है। हमारे द्वारा जारी किए गए कोष पर डीयूएस केन्द्रों के द्वारा अर्जित ब्याज के विषय में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए डीयूएस केंद्रों को आवश्यक निर्देश फिर से जारी किए जाएंगे।
अनुबंध	
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने के आवश्यकता है।	
(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है। लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है।	मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी के द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं है। अंकेक्षण टीम का नामांकन पूर्ण रूप से नियंत्रक मंत्रालय पर निर्भर करता है। इसलिए, मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी है। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म के द्वारा की गई है जो लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। अतः प्राधिकरण की दृष्टि में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई कमजोरी नहीं है। हालाँकि, अंकेक्षण टीम से अनुरोध है कि वे उन क्षेत्रों

	के विषय में सुझाव दें जहाँ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
(ii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् डीयूएस केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 19.06 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2023 को उपयोगिता प्रमाण पत्र अदत्त है।	डीयूएस केन्द्रों, संदर्भ प्रयोगशाला, फील्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण और जागरूकता आदि के उद्देश्य से संगठनों और संस्थानों को जारी किए गए अनुदानों के विरुद्ध उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग के द्वारा टेलीफोन पर चर्चा के साथ-साथ ई-मेल संदेश भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ताकि उपयोग प्रमाणपत्रों या अप्रयुक्त राशि की वापसी को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। केन्द्रों के पास उपलब्ध शेष राशि को समायोजित करने के बाद ही आगामी अनुदान की राशि जारी की जाती है। कुछ मामलों में वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं।

दिनांक दिसम्बर, 01.12.2023 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की 37वीं बैठक में एजेंडा क्रम संख्या 5 में वार्षिक लेखा 2022-2023 को स्वीकार किया गया।



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी.एस. मार्ग, नई दिल्ली-110012

ईमेल : chairperson-ppvfra@nic.in;

दूरभाष : 011-25848127, 25843316